# राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 107वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 107वीं बैठक दिनांक 17/03/2021 को 03:00 बजे श्री भोगी लाल सरन, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. समीर बाजपेयी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. श्री सुब्रत साहू, सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–1** **17/02/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 106वीं बैठक दिनांक 17/02/2021 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–2** **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ की 357वीं एवं 358वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/02/2021 एवं 12/02/2021 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों, औद्योगिक परियोजनाओं एवं परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स श्री आशीष चौहान (दंतेवाड़ा सेण्ड माईन, ग्राम–दंतेवाड़ा, तहसील व जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा), नकुलनार, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1408)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 175738/2020, दिनांक 27/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 06/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दंतेवाड़ा, तहसील व जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 385, कुल क्षेत्रफल – 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन डंकिनी नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 44,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. एल.ओ.आई./लीज डीड की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान को जारी 500 मीटर एवं 200 मीटर प्रमाण पत्र (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को—ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
6. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।
7. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
8. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
9. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

11. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौरव कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **नगर पालिका परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा का दिनांक 19/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1010/खनिज/उ.यो./2020–21 दंतेवाड़ा, दिनांक 08/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1059/खनिज/रि.ऑ./2020–21 दंतेवाड़ा, दिनांक 11/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1011/खनिज/रि.ऑ./2020–21 दंतेवाड़ा, दिनांक 08/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री आशीष चौहान के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी दंतेवाड़ा 0.7 कि.मी., स्कूल दंतेवाड़ा 2 कि.मी. एवं अस्पताल दंतेवाड़ा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.3 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 150 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 65 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 640 मीटर एवं चौड़ाई – 65 मीटर दर्शाई गई है। खदान नदी तट से लगी हुई है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत या 7.5 मीटर (जो भी अधिक हो) होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 32,182 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है। उपस्थित परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर से अधिक है। प्रस्तावित स्थल पर रेत की खुदाई 2 मीटर तक किये जाने के उपरांत, स्थल पर पानी आ जाने के कारण 2 मीटर से नीचे उत्खनन कार्य नहीं किया जा सका।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद दंतेवाडा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 385, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता – 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा दिनांक 24/07/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/11/2019 द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा को जारी

पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री आशीष चौहान के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1014/खनिज/रि.ऑ./2020–21 दंतेवाड़ा, दिनांक 08/02/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2019–20 | 10,600 |
| 2020–21 | 7,400 |

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 11/05/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 16.41 | 2% | 0.32 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Dantewada | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Total | 0.50 |

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** –

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 65 मीटर है, जबकि खदान नदी तट से लगी हुई है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। संशोधित क्वारी प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 10,621.5 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 150 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल डाउनस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से पुल

की दूरी कम से कम 250 मीटर होना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 100 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार 7,195.65 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार संशोधित माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 17,817.68 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.22 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। डंकिनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–दंतेवाड़ा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री आशीष चौहान, दंतेवाड़ा सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 385, ग्राम–दंतेवाड़ा, तहसील व जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 17,817.68 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.22 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

7. आवेदक द्वारा पोस्ट–मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट–मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री आशीष चौहान, दंतेवाड़ा सेण्ड माईन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 385, ग्राम–दंतेवाड़ा, तहसील व जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 17,817.68 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.22 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**2. मेसर्स श्री भावेश कुमार बैद (भरकाटोला लाईम स्टोन माईन), ग्राम–भरकाटोला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1424)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 179688/2020, दिनांक 19/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भरकाटोला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 345, कुल क्षेत्रफल–2.918 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 60,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आवेदन, समिति की दिनांक 07/01/2021 एवं 08/01/2021 को आयोजित बैठक में विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भावेश कुमार बैद, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि चूंकि यह खदान पूर्व से संचालित है। अतः खनन कार्य हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – संशोधित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 20/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 877/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 22/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 877/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 22/05/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री भावेश कुमार बैद के नाम पर है, जिसमें लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/10/2016 से 19/10/2046 तक की अवधि हेतु है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /10–1/8122 राजनांदगांव दिनांक 25/08/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से दूरी 15 कि.मी. है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भरकाटोला 0.38 कि.मी., स्कूल ग्राम–भरकाटोला 0.57 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–भरकाटोला 0.55 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.7 कि.मी. दूर है। भाईहा नदी 2.4 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 11,29,125 टन, माईनेबल रिजर्व 2,51,314 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,38,748 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,450 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,350 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है।

खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम वर्ष (2020–21) | 44,541 |
| द्वितीय वर्ष (2021–22) | 45,481 |
| तृतीय वर्ष (2022–23) | 46,813 |
| चतुर्थ वर्ष (2023–24) | 60,028 |
| पंचम वर्ष (2024–25) | 41,346 |

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 850 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 345, कुल क्षेत्रफल – 2.918 हैक्टेयर, क्षमता – 3,15,902 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4480/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 26/11/2020 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| 2016 | निरंक |
| 2017 | 20,400 |
| 2018 | 1,00,900 |
| 2019 | 42,460 |
| 2020 (जून तक) | 42,840 |

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh |

| | | | | Rupees) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2% | 0.80 | Following activities at Government Primary School, **Village-Bharkatola** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.40 |
| | | | Potable Drinking water Facility | 0.20 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.10 |
| | | | Plantation with fencing | 0.10 |
| | | | **Total** | **0.80** |

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /677/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 22/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–भरकाटोला) का रकबा 2.918 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री भावेश कुमार बैद (भरकाटोला लाईम स्टोन माईन) की ग्राम–भरकाटोला, तहसील व जिला–राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 345 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.918 हेक्टेयर, क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाए।

4. वृक्षारोपण का कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किया जाए तथा उसका पालन प्रतिवेदन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन कर, नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक

17/03/2021 के माध्यम से उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भरकाटोला के दिनांक 08/03/2021 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

**विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को** स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री भावेश कुमार बैद (भरकाटोला लाईम स्टोन माईन) की ग्राम–भरकाटोला, तहसील व जिला–राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 345 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.918 हेक्टेयर, क्षमता – 60,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**3. मेसर्स श्री जी. डी. जसवानी (नवागांव लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1444)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 180855/2020, दिनांक 28/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 10/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण –** यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल–0.283 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) के संबंध में जानकारी की पठनीय प्रति (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुमार जसवानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नवागांव का दिनांक 31/08/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – संशोधित क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन–6/2017/3428 रायपुर, दिनांक 28/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – खनि निरीक्षक द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 4.11 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया

जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – न्यायालय तहसीलदार, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव द्वारा खनि अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में यह लीज श्री दौलत सिंह चंदेल के नाम पर थी। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/05/2009 से 21/05/2039 तक की अवधि हेतु है। लीड डीड का हस्तांतरण श्री जी. डी. जसवानी के नाम पर दिनांक 19/02/2020 को किया गया है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 10–1/2020/1318 राजनांदगांव, दिनांक 05/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.8 कि.मी की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ीपार 0.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–मुढ़ीपार 0.36 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–मुढ़ीपार 0.34 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.26 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 8.35 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 70,750 टन, माईनेबल रिजर्व 17,185 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 11,937 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,496 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर 0.025 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है, जिसे ढ़क कर रखा गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 1,000 |

| | |
|---|---|
| द्वितीय | 1,000 |
| तृतीय | 1,000 |
| चतुर्थ | 1,000 |
| पंचम | 1,000 |

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 374 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल – 0.283 हेक्टेयर, क्षमता – 1,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1539/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 15/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| जनवरी 2014 से जून 2014 तक | 3,362 |
| जुलाई 2014 से दिसम्बर 2017 तक | निरंक |
| 2018 | 227 |
| 2019 | 1,030 |

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 500 मीटर के भीतर अवस्थित 17 खदानें है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खनि निरीक्षक द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 4.11 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 500 मीटर के भीतर अवस्थित 17 खदानें जिनका कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होता है। आवेदित खदान (ग्राम–नवागांव) का रकबा 0.283 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for water usage.

   iv. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

   v. Project proponent shall submit certificate regarding cluster formation within 500 meter radius from the mine, from the concerned department.

   vi. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   vii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   viii. Project proponent shall submit the its compliance report of previous Environment Clearance alongwith photographs.

   ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report (if any).

   x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

4. **मेसर्स श्री जी. डी. जसवानी (नवागांव लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1442)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 180851 / 2020, दिनांक 28 / 10 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07 / 11 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 10 / 11 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260 / 1, कुल क्षेत्रफल–1.215 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10 / 12 / 2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) के संबंध में जानकारी की पठनीय प्रति (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02 / 01 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07 / 01 / 2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07 / 01 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के

समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुमार जसवानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नवागांव का दिनांक 31/08/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना – संशोधित** क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन–6/2017/3428 रायपुर, दिनांक 28/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – खनि निरीक्षक द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 3.18 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – न्यायालय तहसीलदार, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव द्वारा खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में यह लीज श्री दौलत सिंह चंदेल के नाम पर थी। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/01/2009 से 03/01/2014 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 10 वर्षों की,

दिनांक 04/01/2014 से 03/01/2029 तक की अवधि वृद्धि की गई है। लीड डीड का हस्तांतरण श्री जी. डी. जसवानी के नाम पर दिनांक 19/02/2020 को किया गया है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 10–1/2020/1316 राजनांदगांव, दिनांक 05/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.795 कि.मी की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ीपार 0.225 कि.मी., स्कूल ग्राम–मुढ़ीपार 0.47 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–मुढ़ीपार 0.46 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 8.14 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,20,125 टन, माईनेबल रिजर्व 2,98,845 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,22,062 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,430 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 10,800 घनमीटर, जिसमें से 5,600 घनमीटर निकाला जा चुका है। शेष मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 22 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 10,000 |
| द्वितीय | 10,000 |
| तृतीय | 10,000 |
| चतुर्थ | 10,000 |
| पंचम | 10,000 |

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 858 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल – 1.215 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1540/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 15/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| 2014 | 33 |
| जनवरी 2015 से दिसम्बर 2017 तक | निरंक |
| 2018 | 2,620 |
| 2019 | 6,692 |

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 500 मीटर के भीतर अवस्थित 17 खदानें है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,430 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग लगभग 1,125 वर्गमीटर क्षेत्र, 3 मीटर से 4.2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य कर किया जाएगा। अतः उपरोक्त का समावेश माईनिंग प्लान में किया गया है। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. खनि निरीक्षक द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 3.18 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 500 मीटर के भीतर अवस्थित 17 खदानें जिनका कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होता है। आवेदित खदान (ग्राम–नवागांव) का रकबा 1.215 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for water usage.

   iv. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

   v. Project proponent shall submit certificate regarding cluster formation within 500 meter radius from the mine, from the concerned department.

   Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

vii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit the its compliance report of previous Environment Clearance alongwith photographs.

ix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

x. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

**5. मेसर्स श्री जी. डी. जसवानी (नवागांव लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1443)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 180853/2020, दिनांक 28/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 10/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1 कुल क्षेत्रफल–0.972 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,500 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) के संबंध में जानकारी की पठनीय प्रति (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुमार जसवानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नयागांव का दिनांक 31/08/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – संशोधित क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क/ख.लि./तीन–6/2017/3477 रायपुर, दिनांक 28/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – खनि निरीक्षक द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 3.42 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – न्यायालय तहसीलदार, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव द्वारा खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में यह लीज श्री दौलत सिंह चंदेल के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/01/2006 से 28/01/2016 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 29/01/2016 से 28/01/2036 तक की अवधि वृद्धि की गई है। लीड डीड का हस्तांतरण श्री जी. डी. जसवानी के नाम पर दिनांक 19/02/2020 को किया गया है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 10–1/2020/1314 राजनांदगांव, दिनांक 05/02/2020 से जारी अनापत्ति

प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.7 कि.मी की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ीपार 0.25 कि.मी., स्कूल ग्राम–मुढ़ीपार 0.48 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–मुढ़ीपार 0.46 की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 8.2 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,29,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,64,727 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,10,342 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,704 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 45 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 4,500 |
| द्वितीय | 4,500 |
| तृतीय | 4,500 |
| चतुर्थ | 4,500 |
| पंचम | 4,500 |

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 676 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल – 0.972 हेक्टेयर, क्षमता – 4,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1541/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 15/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| जनवरी 2014 से जून 2014 तक | 3,768 |
| 2015 | 11,218 |
| जनवरी 2016 से जून 2016 तक | 980 |
| जुलाई 2016 से दिसम्बर 2017 तक | निरंक |
| 2018 | 46 |
| 2019 | 339 |

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 500 मीटर के भीतर अवस्थित 17 खदानें है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,704 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग लगभग 1,790 वर्गमीटर क्षेत्र, 2.5 मीटर से 4.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य कर किया जाएगा। अतः उपरोक्त का समावेश माईनिंग प्लान में किया गया है। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. खनि निरीक्षक द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 3.42 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 500 मीटर के भीतर अवस्थित 17 खदानें जिनका कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होता है। आवेदित खदान (ग्राम—नवागांव) का रकबा 0.972 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला — रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the copy of lease deed.

   iv. Project proponent shall submit the three number of mine working section upto depth of 15 meter from surface, by showing RL and dimension.

   v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for water usage.

   vi. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

   vii. Project proponent shall submit certificate regarding cluster formation within 500 meter radius from the mine, from the concerned department.

   viii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   ix. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   x. Project proponent shall submit the its compliance report of previous Environment Clearance alongwith photographs.

   xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone,

calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

**6. मेसर्स श्रीमती हीरोबाई गोंड (देवडोंगर लाईम स्टोन माईन), ग्राम–देवडोंगर, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1296)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 152550/2020, दिनांक 05/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–देवडोंगर, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 344(पार्ट), 350/1, 350/2, 350/3, 351, 352, 352, कुल क्षेत्रफल–1.95 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–16,500 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय (दिनांक सहित) प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर पोद्दार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीह खुर्द का दिनांक 29/07/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पृ.क्रमांक 4321/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क05/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 263/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव,

दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 9.68 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 263/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती हीरोबाई गोंड के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षो अर्थात् दिनांक 30/09/2008 से 29/09/2013 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 25 वर्षो की दिनांक 30/09/2013 से 29/09/2038 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भू–स्वामित्व**– खसरा क्रमांक 350/1, 350/2, 350/3, 351, 352, 353 आवेदक के नाम पर है। पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 344 श्री प्रवीण कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. 5–19/6967 राजनांदगांव, दिनांक 23/08/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन परिसर बघेरा से 8 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवडोंगर 0.19 कि. मी., स्कूल ग्राम–देवडोंगर 0.45 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–देवडोंगर 0.43 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.7 कि.मी. दूर है। औरदा नदी 9 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,26,250 टन, माईनेबल रिजर्व 3,42,017 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,24,916 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,715 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|

| | |
|---|---|
| प्रथम | 16,500 |
| द्वितीय | 16,500 |
| तृतीय | 16,500 |
| चतुर्थ | 16,500 |
| पंचम | 16,500 |
| छष्टम | 16,500 |
| सप्तम | 16,500 |
| अष्टम | 16,500 |
| नवम | 16,500 |
| दशम | 16,500 |

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,079 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 344(पार्ट), 350/1, 350/2, 350/3, 351, 352 एवं 353, कुल क्षेत्रफल – 1.95 हेक्टेयर, क्षमता – 16,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 447/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 11/02/2021 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| 2017–18 | 12,940 |
| 2018–19 | 12,258 |
| 2019–20 | 8,183 |
| 2020–21 | 3,683 |

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,715 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग लगभग 340 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य कर किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 263/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 9.68 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–देवडोंगर) का रकबा 1.95 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–देवडोंगर) को मिलाकर रकबा 11.63 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the affidavit for mining purpose of land owner.

iv. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for water usage.

v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

vi. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit the its compliance report of previous Environment Clearance alongwith photographs.

viii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

7. **मेसर्स श्रीमती नीलम पोद्दार (चंवरढ़ाल लाईम स्टोन माईन), ग्राम–चंवरढ़ाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1295)**

**ऑनलाईन आवेदन –** प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 152544/2020, दिनांक 05/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चंवरढ़ाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल–2.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–49,996 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर पोद्दार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 18/11/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ क./ख.लि./तीन–6/2016/2492 रायपुर, दिनांक 09/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 264/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 7.092 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 264/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती नीलम पोद्दार के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षो अर्थात् दिनांक 31/07/2007 से 30/07/2012 तक की अवधि हेतु थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 31/07/2012 से 30/07/2017 तक किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 31/07/2017 से 30/07/2037 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./5–19/9687 राजनांदगांव, दिनांक 11/12/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चंवरढ़ाल 0.48 कि.मी., स्कूल ग्राम–चंवरढ़ाल 0.9 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–चंवरढ़ाल 0.84 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है। औरदा नदी 8.4 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,44,537 टन, माईनेबल रिजर्व 5,37,412 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,10,541 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,150 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 942 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 48,165 |
| द्वितीय | 49,995 |
| तृतीय | 49,995 |
| चतुर्थ | 49,992 |
| पंचम | 49,991 |
| छष्टम | 49,992 |
| सप्तम | 49,989 |
| अष्ठम | 49,733 |
| नवम | 48,920 |
| दशम | 47,894 |

**नोटः** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,038 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल–2.024 हेक्टेयर, क्षमता–49,996 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 445/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 11/02/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| 2017–18 | 22,216 |
| 2018–19 | निरंक |
| 2019–20 | |
| 2020–21 | |

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/264/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 7.092 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चंवरढ़ाल) का रकबा 2.02 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चंवरढ़ाल) को मिलाकर रकबा 9.11 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for water usage.

iv. Project proponent shall submit certificate regarding cluster formation within 500 meter radius from the mine, from the concerned department.

v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

vi. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit the its compliance report of previous Environment Clearance alongwith photographs.

viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery (if any) & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

**8. मेसर्स श्री समीर पोद्दार (चंवरढ़ाल लाईम स्टोन माईन), ग्राम–चंवरढ़ाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1297)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 152653/2020, दिनांक 06/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 11/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चंवरढ़ाल, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल–1.942 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–39,900 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर पोद्दार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 18/11/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2016/3131 रायपुर, दिनांक 31/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 266/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 7.092 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 266/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री समीर पोद्दार के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षो अर्थात् दिनांक 15/06/2012 से 14/06/2017 तक

की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 15 वर्षों की, दिनांक 15/06/2017 से 14/06/2032 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./5–18/6081 राजनांदगांव, दिनांक 13/06/2002 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चंवरढ़ाल 0.47 कि.मी., स्कूल ग्राम–चंवरढ़ाल 0.42 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–चंवरढ़ाल 0.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.79 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है। औरता नदी 8.4 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,23,460 टन, माईनेबल रिजर्व 2,87,240 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,72,878 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,990 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर (Including hillock maximum height 9 meter) है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,730 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 42,000 |
| द्वितीय | 41,250 |
| तृतीय | 40,750 |
| चतुर्थ | 30,375 |
| पंचम | 25,500 |
| छष्टम | 28,500 |
| सप्तम | 21,000 |
| अष्टम | 24,000 |
| नवम | 15,375 |
| दशम | 18,250 |

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की

आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,036 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल–1.942 हेक्टेयर, क्षमता –39,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 446/ख.लि.01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 11/02/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| 2017–18 | 5,270 |
| 2018–19 | 4216 |
| 2019–20 | 6,050 |
| 2020–21 | 18,500 |

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,990 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग लगभग 2,100 वर्गमीटर क्षेत्र, 7 मीटर से 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य कर किया जाएगा।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

    **"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."**

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/266/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 7.092 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चंवरढ़ाल) का रकबा 1.942 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चंवरढ़ाल) को मिलाकर रकबा 9.03 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for water usage.

   iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   v. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   vi. Project proponent shall submit the its compliance report of previous Environment Clearance alongwith photographs.

   vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

## 9. मेसर्स आलोक फेरो एलॉयज लिमिटेड, प्लांट क्रमांक 458/1, 459, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला–रायपुर

**आवेदन** – उद्योग द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में दिनांक 16/01/2020 को जारी संशोधन के परिपेक्ष्य में निम्न मार्गदर्शन चाहा गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में दिनांक 16/01/2020 को जारी संशोधन में अधिसूचना के पैरा 7(II)C अनुसार–

"in paragraph 7, in sub-paragraph (ii), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
"(c) Any change in raw material-mix or product-mix, change in quantities within products or number of products in the same category for which prior environmental clearance has been granted, shall be exempted from the requirement of prior environmental clearance provided there is no increase in pollution load and the resultant increase in production is not more than 50 percent of the production capacity permitted in the earlier environmental clearance and the project proponent shall follow the procedure for obtaining 'No Increase in Pollution Load' certificate from the concerned State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee, as the case may be, as per the provisions given in Appendix –XIII"; "

2. उद्योग द्वारा दिनांक 24/12/2020 के माध्यम से प्लांट नं. 458/1, 459, औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में स्थापित एवं संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट–08 मेगावॉट में क्षमता विस्तार कर 08 मेगावॉट से 10 मेगावॉट करने संबंधी कार्यकलाप भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में दिनांक 23/11/2016 एवं 16/01/2020 को जारी संशोधन के परिपेक्ष्य में अधिसूचना के पैरा 7(II)C के अंतर्गत उपबंध–XIII में वर्णित प्रक्रिया अनुसार "No increase in pollution load" के तहत आने अथवा नहीं आने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) में दिनांक 16/01/2020 को जारी संशोधन अनुसार यह प्रावधान ऐसी परियोजना/कार्यकलापों हेतु लागू है, जिन्हें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा केप्टिव पॉवर प्लांट–08 मेगावॉट हेतु संचालन सम्मति दिनांक 17/02/2006 को जारी की गई है तथा तत्समय लागू ई.आई.ए. अधिसूचना के दायरे में नहीं आने के कारण उद्योग द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

2. ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में थर्मल पॉवर प्लांट के क्षमता विस्तार हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को स्थापित एवं संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट–08 मेगावॉट में क्षमता विस्तार कर 08 मेगावॉट से 10 मेगावॉट करने से पूर्व ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन कर, नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02/03/2021 को संशोधित अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार:–

"(b) Existing projects (having Prior Environmental Clearance) with no increase in pollution load: Any increase in production capacity in respect of processing or production or manufacturing sectors (listed against item numbers 2,3, 4 and 5 in the Schedule to this notification) with or without any change in (i) raw material-mix or (ii) product-mix or (ii) quantities within products or (ii) number of products including new products falling in the same category or (iv) configuration of the plant or process or operations in existing area or in areas contiguous to the existing area (for which prior environmental clearance has been granted) shall be exempt from the requirement of Prior Environmental Clearance provided that there is no increase in pollution load (derived on the basis of such Prior Environmental Clearance)"

ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसूची (Schedule) में थर्मल पॉवर प्लांट्स कैटेगरी '1d' के अंतर्गत आते है। उपरोक्त अधिसूचना अनुसार No increase in pollution load certificate संबंधी प्रावधान थर्मल पॉवर प्लांट्स में लागू नहीं होते है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति** से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**10. मेसर्स हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड (यूनिट–2), प्लांट क्रमांक 567, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला–रायपुर**

**आवेदन** – उद्योग द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में दिनांक 16/01/2020 को जारी संशोधन के परिपेक्ष्य में निम्न मार्गदर्शन चाहा गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में दिनांक 16/01/2020 को जारी संशोधन में अधिसूचना के पैरा 7(II)C अनुसार–

"in paragraph 7, in sub-paragraph (ii), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
"(c) Any change in raw material-mix or product-mix, change in quantities within products or number of products in the same category for which prior environmental clearance has been granted, shall be exempted from the requirement of prior environmental clearance provided there is no increase in pollution load and the resultant increase in production is not more than 50 percent of the production capacity permitted in the earlier environmental clearance and the project proponent shall follow the procedure for obtaining 'No Increase in Pollution Load' certificate from the concerned State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee, as the case may be, as per the provisions given in Appendix –XIII"; "

2. उद्योग द्वारा दिनांक 24/12/2020 के माध्यम से प्लांट नं. 567, उरला इंडस्ट्रीयल एरिया, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.) में स्थापित एवं संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट–20 मेगावॉट में क्षमता विस्तार कर 20 मेगावॉट से 25 मेगावॉट करने संबंधी कार्यकलाप भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में दिनांक 23/11/2016 एवं 16/01/2020 को जारी संशोधन के परिपेक्ष्य में अधिसूचना के पैरा 7(II)C के अंतर्गत उपबंध–XIII में वर्णित प्रक्रिया अनुसार "No increase in pollution load" के तहत आने अथवा नहीं आने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) में दिनांक 16/01/2020 को जारी संशोधन अनुसार यह प्रावधान ऐसी परियोजना/कार्यकलापों हेतु लागू है, जिन्हें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा केप्टिव पॉवर प्लांट–20 मेगावॉट हेतु संचालन सम्मति दिनांक 08/08/2006 को जारी की गई है तथा तत्समय लागू ई.आई.ए. अधिसूचना के

दायरे में नहीं आने के कारण उद्योग द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

2. ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में थर्मल पॉवर प्लांट के क्षमता विस्तार हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को स्थापित एवं संचालित केप्टिव पॉवर प्लांट–20 मेगावॉट में क्षमता विस्तार कर 20 मेगावॉट से 25 मेगावॉट करने से पूर्व ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन कर, नोट किया गया:–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02/03/2021 को संशोधित अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार:–

"(b) Existing projects (having Prior Environmental Clearance) with no increase in pollution load: Any increase in production capacity in respect of processing or production or manufacturing sectors (listed against item numbers 2,3, 4 and 5 in the Schedule to this notification) with or without any change in (i) raw material-mix or (ii) product-mix or (ii) quantities within products or (ii) number of products including new products falling in the same category or (iv) configuration of the plant or process or operations in existing area or in areas contiguous to the existing area (for which prior environmental clearance has been granted) shall be exempt from the requirement of Prior Environmental Clearance provided that there is no increase in pollution load (derived on the basis of such Prior Environmental Clearance)"

ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के अनुसूची (Schedule) में थर्मल पॉवर प्लांट्स कैटेगरी '1d' के अंतर्गत आते है। उपरोक्त अधिसूचना अनुसार No increase in pollution load certificate संबंधी प्रावधान थर्मल पॉवर प्लांट्स में लागू नहीं होते है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति** से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**11. मेसर्स श्री पदमचंद जैन (डुमरडीहकला लाईम स्टोन माईन), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1281)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 150780/2020, दिनांक 01/04/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 172/2, 173/2, 174, 175 एवं 176/2, कुल क्षेत्रफल–1.983 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,300 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 03/08/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2017/3058 (1से3) रायपुर, दिनांक 25/01/2015 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2636/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.01 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2636/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्री पदमचंद जैन के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 21/11/2006 से 20/11/2011 तक की अवधि हेतु थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 21/11/2011 से 20/11/2016 तक किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 21/11/2016 से 20/11/2036 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री मनोज कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./10–1/9093 राजनांदगांव, दिनांक 12/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ढेलकाडीह 0.66 कि.मी., स्कूल ग्राम–ढेलकाडीह 0.85 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–ढेलकाडीह 0.86 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15.2 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,91,500 टन, माईनेबल रिजर्व 4,70,392 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,23,353 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,680 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 38 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 12,300 |
| द्वितीय | 12,300 |
| तृतीय | 12,300 |
| चतुर्थ | 12,300 |
| पंचम | 12,300 |

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,822 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

    ii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक / 451 / ख.लि. 01 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 11 / 02 / 2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 2017–18 | 11,860 |
| 2018–19 | 12,220 |
| 2019–20 | 12,260 |
| अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक | 3,300 |

15. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में विगत वर्ष में किये गये उत्खनन को ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में शामिल नहीं किया गया है एवं ऊपरी मिट्टी भण्डारण प्रबंधन की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में विगत वर्ष में किये गये उत्खनन को ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना एवं ऊपरी मिट्टी भण्डारण प्रबंधन को शामिल करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग में उत्खनन किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को 03 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2636/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.01 हेक्टेयर है। है। आवेदित खदान (ग्राम–डुमरडीहकला) का रकबा 1.983 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 14.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit certificate regarding cluster formation within 500 meter radius from the mine, from the concerned department.

   iii. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat for water usage.

   iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   v. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   vi. Project proponent shall submit the copy of Previous Environment Clearance alongwith its compliance report with photographs.

   vii. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all blocked reserves in calculations & mined out quantity as per discussion in meeting.

   viii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

   ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation within three months and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

   x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह

भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

**12. मेसर्स श्रीमती कौशिल्या देवी चक्रधारी (ईरा सोईल/ऑर्डिनरी क्ले माईन), ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1277)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 150660/2020, दिनांक 30/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 549/1, 550(पार्ट), 551(पार्ट), 553, 554/1,2, 555/2,3,4, 557, 558/2, 559(पार्ट), 560(पार्ट), 561(पार्ट), 577(पार्ट), 578(पार्ट), 581/1(पार्ट), एवं 578/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.411 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता–4,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 03/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

**(द) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2780/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 11.59 एकड़ है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि अवस्थित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान अवस्थित है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(इ) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवलाल चक्रधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि अपरिहार्य कारणों (पर्यावरण सलाहकार का स्वास्थ्य खराब होने) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ई) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवलाल चक्रधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ईरा का दिनांक 01/09/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./तीन–6/ख.लि./2016/310 रायपुर, दिनांक 08/02/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2780/ख.लि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.692 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2780/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 01/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार

उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती कौशिल्या देवी चक्रधारी के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/01/2007 से 21/01/2012 तक की अवधि हेतु थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 22/01/2012 से 21/01/2017 तक की अवधि हेतु किया गया। तत्पश्चात् लीज की वैधता दिनांक 21/01/2037 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री भागीरथी चक्रधारी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./न.क्र. 10–1/2020/12516 राजनांदगांव, दिनांक 13/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–झोला 0.98 कि.मी, स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–झोला 1.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.3 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी लगभग 0.12 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 60,620 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 55,230 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,025 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.15 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा (किल्न) स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 35 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। 10 लाख ईंट निर्माण हेतु 180 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्षवार | मिट्टी उत्खनन (घनमीटर) |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | 4,500 |
| द्वितीय वर्ष | 4,500 |
| तृतीय वर्ष | 3,915 |
| | 585 |
| चतुर्थ वर्ष | 4,500 |
| पंचम वर्ष | 4,500 |

**आगामी वर्षों का उत्खनन योजना**

| वर्षवार | मिट्टी उत्खनन (घनमीटर) |
|---|---|
| छठ्ठम वर्ष | 4,500 |
| सप्तम वर्ष | 4,500 |
| अष्टम वर्ष | 4,500 |
| नवम वर्ष | 4,500 |
| दशम वर्ष | 2,260 |
| | 1,840 |

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 700 नग वृक्षारोपण आगामी मानसून के पूर्व किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 549/1, 550(पार्ट), 551(पार्ट), 553, 554/1,2 555/2,3,4 557, 558/2, 559(पार्ट), 560(पार्ट), 561(पार्ट), 577(पार्ट), 578(पार्ट), 581/1(पार्ट), एवं 578/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 4.411 हेक्टेयर, क्षमता – 4,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/11/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1546/ख.लि.–02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 15/06/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्खनन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2010 | 1,315.5 |
| 2011 | 1,420 |
| 2012 | 710 |
| 2013 | 1,000 |
| 2014 | 1,360 |
| 2015 | 2,795 |
| 2016 | 2,650 |
| 2017 | 1,500 |
| 2018 | 1,600 |
| 2019 | 1,930 |

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2780/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.692 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–ईरा) का रकबा 4.411 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–ईरा) को मिलाकर कुल रकबा 9.103 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit certificate regarding cluster formation within 500 meter radius from the mine, from the concerned department.

   iii. Project proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authority for usage of water.

   iv. Project proponent shall submit the its compliance report of previous Environment Clearance alongwith photographs.

   v. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   vi. Project proponent shall submit the previous years (financial year) production details.

   vii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

**13. मेसर्स श्री संतोष कुमार लोहानी (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1242)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 147991/2020, दिनांक 08/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/06/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/06/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 165/4, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–19,087.5 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 07/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) के साथ प्रस्तुत किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (पर्यावरण सलाहकार का स्वास्थ्य खराब होने) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को फरवरी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(इ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश लोहानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक /ख.लि./तीन–6/2016/2725 रायपुर, दिनांक 29/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4130/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 21 खदानें, क्षेत्रफल 22.507 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – न्यायालय नायब तहसीलदार (घुमका–2), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 3006/प्रवा. ना.तह./2018 राजनांदगांव, दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री संतोष कुमार लोहानी के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/07/2011 से 06/07/2021 तक की अवधि हेतु है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड की अवधि वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 10–1/2020/1393 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 से जारी अनापत्ति

प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.6 कि.मी की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बिरझर 0.9. कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–बिरझर 0.98 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.7 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,07,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,84,591 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,46,132 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,315 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | 5,738 |
| द्वितीय वर्ष | 8,362 |
| तृतीय वर्ष | 13,219 |
| चतुर्थ वर्ष | 16,163 |
| पंचम वर्ष | 19,087 |

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 829 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 165/4, कुल क्षेत्रफल – 1.214 हेक्टेयर, क्षमता – 19,087.5 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1774/ख.लि.–03/2020, राजनांदगांव दिनांक 23/07/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 2014 | 4,682 |
| 2015 | 8,040 |
| 2016 | 8,116 |
| 2017 | 5,021 |
| 2018 | 9,951 |
| 2019 | 7,220 |

14. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में विगत वर्ष में किये गये उत्खनन को ब्लॉक्ड रिजर्व की गणना में शामिल नहीं किया गया है व ऊपरी मिट्टी भण्डारण प्रबंधन की उपयुक्त जानकारी नहीं दी गई है। अतः प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में विगत वर्ष में किये गये उत्खनन को ब्लॉक्ड रिज़र्व की गणना व ऊपरी मिट्टी भण्डारण प्रबंधन को शामिल करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के उत्तर दिशा में 64 मीटर लम्बाई, दक्षिण दिशा में 102 मीटर, पूर्व दिशा में 86 मीटर लम्बाई एवं पश्चिम दिशा में 167 मीटर लम्बाई (इस प्रकार कुल 419 मीटर लम्बाई) में उत्खनन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को 03 माह के भीतर पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4130/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 21 खदानें, क्षेत्रफल 22.507 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—जोरातराई) का रकबा 1.214 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—जोरातराई) को मिलाकर कुल रकबा 23.721 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit certificate regarding cluster formation within 500 meter radius from the mine, from the concerned department.

   iii. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.

   iv. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all blocked reserves in calculations & mined out quantity.

   v. Project proponent shall submit NOC for usage of water.

   vi. Project proponent shall submit extended lease deed copy.

   vii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   viii. Project proponent shall submit the previous years (financial year) production details.

   ix. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   x. Project proponent shall submit the its compliance report of previous Environment Clearance alongwith photographs.

   xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation within three months and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

**14. मेसर्स श्री नर्मदा प्रसाद यादव (आमाटिकरा सेण्ड माईन, ग्राम–आमाटिकरा, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा), ग्राम–माचाडोली, लालपुर, पोस्ट–एतमानगर, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1500)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 190355/2020, दिनांक 29/12/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–आमाटिकरा, तहसील–पोड़ी उपरोड़ा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 332, कुल क्षेत्रफल – 4.302 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन टेटी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 28,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर से जारी 200 मीटर एवं 500 मीटर का प्रमाण पत्र जावक क्रमांक सहित प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर

प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नर्मदा प्रसाद यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नर्मदा प्रसाद यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आमाटिकरा का दिनांक 24/04/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/394/खलि–6/2020 कोरबा, दिनांक 06/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1854–सी/ख.लि.–03/रेत नी. (आमाटिकरा)/न.क्र. 14/2019 कोरबा, दिनांक 23/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1854–बी/ख.लि. –03/ रेत नी. (आमाटिकरा)/न.क्र. 14/2019 कोरबा, दिनांक 23/06/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. श्री नर्मदा प्रसाद यादव के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 353/ख.लि.–03/रेत नी.(आमाटिकरा)/न.क्र.14/2019 कोरबा, दिनांक 17/12/2019 द्वारा जारी की गई थी। तत्पश्चात एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर, अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 25/11/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र को जारी दिनांक से 3 माह की अवधि वृद्धि की गई है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–आमाटिकरा 0.45 कि.मी., स्कूल ग्राम–आमाटिकरा 0.45 कि.मी. एवं अस्पताल चोटिया 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 185 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 87 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 970 मीटर, न्यूनतम 962 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर दर्शाई गई है। खदान नदी तट से लगी हुई है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 1.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 22,610 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर से अधिक है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है। उपस्थित परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर से अधिक है। प्रस्तावित स्थल पर रेत की खुदाई 2.5 मीटर तक किये जाने के उपरांत, स्थल पर पानी आ जाने के कारण 2.5 मीटर से नीचे उत्खनन कार्य नहीं किया जा सका।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में सचिव, ग्राम पंचायत आमाटिकरा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 332, क्षेत्रफल 4.302 हेक्टेयर, क्षमता – 58,077 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरबा द्वारा दिनांक 10 / 03 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31 / 01 / 2020 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत आमाटिकरा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री नर्मदा प्रसाद यादव के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

    iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 18547 / खनि–03 / रेत नी.(आमाटिकरा) / न.क्र. 14 / 2019 कोरबा

दिनांक 23/06/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2017–18 | 3,000 |
| 2018–19 | निरंक |
| 2019–20 | निरंक |

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर मानसून के पूर्व दिनांक 01/03/2020 एवं मानसून के बाद दिनांक 12/10/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 16.77 | 2% | 0.34 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Amatikara | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.35 |
| | | | Total | 0.35 |

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** –

i. नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 87 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर है, जबकि खदान नदी तट (पश्चिमी तट) के किनारे से लगी हुई है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई से न्यूनतम 10 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 5,999 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पुल खदान से 185 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार पुल के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः पुल की तरफ से खदान से 315 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 14,420 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 20,410 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.26 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। टेटी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–आमाटिकरा) का रकबा 4.302 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री नर्मदा प्रसाद यादव, आमाटिकरा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 332, ग्राम–आमाटिकरा, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.302 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 20,410 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.26 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 22,600 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा

(Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री नर्मदा प्रसाद यादव, आमाटिकरा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 332, ग्राम–आमाटिकरा, तहसील–पोड़ी–उपरोड़ा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.302 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 20,410 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.26 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 22,600 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**15. मेसर्स पी.आर.ए. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (प्रो.– श्रीमती सोनम गोयल, करकोटी ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स्ड चिमनी ब्रिक प्लांट), ग्राम–करकोटी, तहसील–भैयाथान, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 926)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40077/2019, दिनांक 27/07/2019।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। ग्राम–करकोटी, तहसील–भैयाथान, जिला–सूरजपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 468, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 893.53 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट उत्पादन 8,50,250 नग प्रतिवर्ष) है।

**प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत करकोटी का दिनांक 19/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1308/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 10/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 321/खनिज/2019 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1200/खनिज /ई–निविदा–करकोटी /2018 सूरजपुर, दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

**(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/08/2019 को सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. लीज सीमा से गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु सक्षम अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 296वीं बैठक दिनांक 10/10/2019:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/10/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(इ) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ई) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 22/08/2019, 18/09/2019, 10/10/2019 एवं 04/07/2020 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(उ) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 06/10/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भोलेनाथ अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वांछित संशोधित माईनिंग प्लान तैयार नहीं होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/11/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 23/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ऊ) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1353/2020 सूरजपुर, दिनांक 18/09/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी 3 कि.मी., लीज सीमा से तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य की वास्तविक दूरी 70 कि.मी. एवं लीज सीमा से गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी 75 कि.मी. है।
2. **एल.ओ.आई. का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 25/2019 विरूद्ध कलेक्टर, जिला–सूरजपुर के परिपेक्ष्य में न्यायालय संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3785/खनि–2/न.क्र.25/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/08/2020 द्वारा जारी पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त में "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), सूरजपुर के पत्र दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन (पर्यावरण स्वीकृति प्रस्तुत) पुनरीक्षणकर्ता मेसर्स पी.आर.ए. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, प्रो.– श्रीमती सोनम गोयल, निवासी–भैयाथान द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष्य में उक्त प्रकरण में नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला सूरजपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" के लिए आदेश जारी किया गया है।
3. **संशोधित उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान एलांगविथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन पृ. क्रमांक /89/खनिज/खलि.2/2021, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ए) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भोलेनाथ अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ पत्र का अवलोकन तथा परीक्षण किया गया एवं पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 12/02/2021 के माध्यम से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**16. मेसर्स श्री दिलीप गुप्ता (मेंढारी सेण्ड माईन, ग्राम–मेंढारी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज), अमरपुर, पेण्ड्रा, बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1429)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 179899/ 2020, दिनांक 22/10/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मेंढारी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 1127, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में है। उत्खनन ईरिया नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 71,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में

आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/01/2021 को जानकारी / दस्तावेज ए प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

**(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी 15 दिवस उपरांत आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मीत सिंह मेरारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मेंढारी का दिनांक 27/08/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1577/खनिज/खलि.3/उत्खनन यो./2020 अम्बिकापुर, दिनांक 21/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 912/रेत खदान/2020 बलरामपुर, दिनांक 15/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 911/रेत खदान/2020 बलरामपुर, दिनांक 15/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री दिलीप गुप्ता के नाम पर है, लीज डीड 2 वर्षों अर्थात् 05/12/2019 से 04/12/2021 तक की अवधि हेतु है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मेंढारी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–मेंढारी 2 कि.मी. एवं अस्पताल वाड्रफनगर–14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 203 मीटर, न्यूनतम 97 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 353 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 199 मीटर, न्यूनतम 75 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 11 मीटर, न्यूनतम 2 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 71,400 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.63 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत मेंढारी के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 1127, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता– 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज द्वारा दिनांक 24/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

    ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत मेंढारी को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री दिलीप गुप्ता के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

    iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 1101/गौण खनिज/रेत/2020, दिनांक 05/12/2020 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2018–19 | 982 |
| 2019–20 | 7,000 |
| 2020–21 | 20,000 |

    v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 07/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 33.16 | 2% | 0.66 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Mendhari | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.35 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.20 |
| | | | Plantation | 0.15 |
| | | | **Total** | **0.70** |

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 203 मीटर एवं न्यूनतम 97 मीटर है, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 11 मीटर, न्यूनतम 2 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 1.43 हेक्टेयर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। अतः खदान का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से 3.57 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन किया जाएगा।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। ईरिया नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–मेंढारी) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री दिलीप गुप्ता, मेंढारी सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1127, ग्राम–मेंढारी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 14,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.57 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 35,700 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री दिलीप गुप्ता, मेंढारी सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1127, ग्राम–मेंढारी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 14,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.57 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई

तक सीमित रखते हुए, कुल 35,700 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**17. मेसर्स श्री संजय शर्मा (यू–1 डोटमा सेण्ड माईन, ग्राम–डोटमा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा), नगर पंचायत सिरगिट्टी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1308)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 149524/ 2020, दिनांक 26/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–डोटमा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1012, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में

न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डोटमा का दिनांक 28/09/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 842/खनि–6/2020 कोरबा, दिनांक 09/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/3572/ख.लि/रेत/2019–20 जांजगीर, दिनांक 09/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3570/ख.लि./रेत/2019–2020 जांजगीर, दिनांक 09/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री संजय शर्मा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/2887/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2020 जांजगीर, दिनांक 31/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वैध एल.ओ. आई. की प्रति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डोटमा 0.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–डोटमा 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल हसोद 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.6 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1,450 मीटर, न्यूनतम 1,340 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 327 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 152.91 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 235 मीटर, न्यूनतम 190 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.41 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.41 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 23/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान

लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 48.31 | 2% | 0.97 | Following activities at Nearby Government Janpad Prathamik shala Village- Devarimath | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.56 |
| | | | Potable Drinking water Facility | 0.25 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.15 |
| | | | Plantation | 0.05 |
| | | | **Total** | **1.01** |

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना** प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के अपील प्रकरण क्रमांक 49/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/01/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये जिला कलेक्टर जांजगीर–चांपा को निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 7(4) द्वारा श्री संजय शर्मा आत्मज स्व. श्री अशोक शर्मा, निवासी वार्ड क्रमांक–12 नगर पंचायत सिरगिट्टी, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा को स्वीकृति आशय पत्र की वैधता में आदेश दिनांक से छः माह की वृद्धि की जाती है तथा आशय पत्र के अन्य शर्त पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पूर्ण किया जाता है तो अनुबंध निष्पादन की

कार्यवाही हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—**

1. आवेदित खदान (ग्राम—डोटमा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे — 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** —

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट—मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री—मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री संजय शर्मा, यू—1 डोटमा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1012, ग्राम—डोटमा, तहसील—जैजैपुर, जिला—जांजगीर—चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु

दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. आवेदक द्वारा पोस्ट–मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट–मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री संजय शर्मा, यू–1 डोटमा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1012, ग्राम–डोटमा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**18. मेसर्स श्री संजय शर्मा (यू–2 देवरीमठ सेण्ड माईन, ग्राम–देवरीमठ, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा), नगर पंचायत सिरगिट्टी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1309)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 149530/2020, दिनांक 26/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–देवरीमठ, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 907, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों)

ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवरीमठ का दिनांक 10/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 846/खलि–6/2020 कोरबा, दिनांक 09/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/3586/ख.लि/रेत/2019–20 जांजगीर, दिनांक 09/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/3584/ख. लि./रेत/2019–2020 जांजगीर, दिनांक 09/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री संजय शर्मा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/2889/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2020 जांजगीर, दिनांक 31/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वैध एल.ओ. आई. की प्रति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवरीमठ 0.47 कि.मी., स्कूल ग्राम–देवरीमठ 0.47 कि.मी. एवं अस्पताल हसोद 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33.75 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.25 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम

1,190 मीटर, न्यूनतम 1,140 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 303 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 165 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 190 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.68 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.68 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 23/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 63.85 | 2% | 1.28 | Following activities at Nearby Government Middle School Village- Dotma | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.24 |
| | | | Plantation | 0.10 |
| | | | Total | 1.34 |

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के अपील प्रकरण क्रमांक 48/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/01/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये जिला कलेक्टर जांजगीर–चांपा को निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 7(4) द्वारा श्री संजय शर्मा आत्मज स्व. श्री अशोक शर्मा, निवासी वार्ड क्रमांक–12 नगर पंचायत सिरगिट्टी, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा को स्वीकृति आशय पत्र की वैधता में आदेश दिनांक से छः माह की वृद्धि की जाती है तथा आशय पत्र के अन्य शर्त पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पूर्ण किया जाता है तो अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–देवरीमट) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री संजय शर्मा, यू–2 देवरीमठ सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 907, ग्राम–देवरीमठ, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. आवेदक द्वारा पोस्ट–मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट–मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री संजय शर्मा, यू–2 देवरीमठ सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 907, ग्राम–देवरीमठ, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**19. मेसर्स श्री राम प्रकाश जायसवाल (करही–1 सेण्ड माईन ग्राम–करही, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा), भवानी नगर, सिरगिट्टी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1310)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 149538/2020, दिनांक 26/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–करही, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1728, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राम प्रकाश जायसवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत करही का दिनांक 13/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/834/खलि–6/2020 कोरबा, दिनांक 09/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/3565/ख.लि/रेत /2019–20 जांजगीर, दिनांक 09/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/3563/ख. लि./रेत/2019–20 जांजगीर, दिनांक 09/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री राम प्रकाश जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक /2891/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2020 जांजगीर, दिनांक 31/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वैध एल.ओ. आई. की प्रति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–करही 0.45 कि.मी., स्कूल ग्राम–करही 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल हसौद 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित

है। राष्ट्रीय राजमार्ग 32.75 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.5 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1,460 मीटर, न्यूनतम 1,450 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 270 मीटर एवं चौड़ाई – 185 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 154 मीटर, न्यूनतम 150 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.89 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.89 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 23/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 79.40 | 2% | 1.59 | Following activities at Nearby Government Middle School Village- Karhi | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.22 |
| | | | Potable Drinking water Facility | 0.25 |
| | | | Running water | 0.15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | facility for Toilets | |
| | | | Plantation | 0.10 |
| | | | **Total** | **1.72** |

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 50/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/01/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये जिला कलेक्टर जांजगीर–चांपा को निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 7(4) द्वारा श्री राम प्रकाश जयसवाल आत्मज स्व. श्री रामजीवन जयसवाल, निवासी वार्ड क्रमांक–4 भावानी नगर सिरगिट्टी, तहसील व जिला–बिलासपुर को स्वीकृति आशय पत्र की वैधता में आदेश दिनांक से छः माह का वृद्धि की जाती है तथा आशय पत्र के अन्य शर्त पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पूर्ण किया जाता है तो अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–करही) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री राम प्रकाश जायसवाल, करही–1 सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1728, ग्राम–करही, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. आवेदक द्वारा पोस्ट–मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट–मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री राम प्रकाश जायसवाल, करही–1 सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1728, ग्राम–करही, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**20. मेसर्स श्री राम प्रकाश जायसवाल (करही–2 सेण्ड माईन ग्राम–करही, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा), भवानी नगर सिरगिट्टी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1311)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 149534/2020, दिनांक 26/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/06/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–करही, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1728, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राम प्रकाश जायसवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत करही का दिनांक 13/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना – क्वारी प्लान** (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/838/खनि–6/2020 कोरबा, दिनांक 09/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/3579/ ख.नि/रेत/ 2019–20 जांजगीर, दिनांक 09/03/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3577/ख.नि./रेत/ 2019–20 जांजगीर, दिनांक 09/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे

पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री राम प्रकाश जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक /2893/ गौण खनिज/नीलामी/न.क./2020 जांजगीर, दिनांक 31/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वैध एल.ओ. आई. की प्रति शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–करही 0.45 कि.मी., स्कूल ग्राम–करही 0.75 कि.मी. एवं अस्पताल हसौद 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 32.30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.5 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1,270 मीटर, न्यूनतम 1,190 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 285.7 मीटर एवं चौड़ाई – 175 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 130 मीटर, न्यूनतम 127 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.52 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.52 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 23/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 79.40 | 2% | 1.59 | Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Karhi | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.25 |
| | | | Potable Drinking water Facility | 0.25 |
| | | | Plantation | 0.15 |
| | | | **Total** | **1.65** |

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 51/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/01/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये जिला कलेक्टर जांजगीर–चांपा को निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 7(4) द्वारा श्री राम प्रकाश जायसवाल आत्मज स्व. श्री रामजीयन जायसवाल, निवासी वार्ड क्रमांक–4 भवानी नगर सिरगिट्टी, तहसील व जिला–बिलासपुर को स्वीकृति आशय पत्र की वैधता में आदेश दिनांक से छः माह का वृद्धि की जाती है तथा आशय पत्र के अन्य शर्त पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पूर्ण किया जाता है तो अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया

है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–करही) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री राम प्रकाश जायसवाल, करही–2 सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1728, ग्राम–करही, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. आवेदक द्वारा पोस्ट–मानसून सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के

स्तरों (Levels) का पोस्ट–मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री राम प्रकाश जायसवाल, करही–2 सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1728, ग्राम–करही, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**21. मेसर्स श्री विजय कुमार गुप्ता (स्टोन माईन ऑफ मेकिंग गिट्टी), ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1121)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 136125/2020, दिनांक 10/01/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1 एवं 102, कुल क्षेत्रफल – 3.76 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,09,200 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. विगत वर्षो में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 315वीं बैठक दिनांक 27/02/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय कुमार गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोकी का दिनांक 10/01/1997 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 1402–03/खनिज/20 अम्बिकापुर, दिनांक 16/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 396/खनि.शा./2020 जशपुर, दिनांक 07/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 395/खनि.शा./2020 जशपुर, दिनांक 07/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री विजय कुमार गुप्ता के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् 05/03/1997 से 04/03/2007 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 09/04/2007 से 08/04/2012 तक एवं द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 09/04/2012 से 08/04/2017 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 09/04/2017 से 04/03/2027 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बोकी 0.65 कि.मी., शहर जशपुर नगर 10 कि.मी., स्कूल ग्राम–बोकी 1 कि.मी. एवं अस्पताल 10 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.7 कि.मी. दूर है। गिरमा नदी 0.92 कि.मी. दूर है।

8. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,76,784 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,27,600 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.672 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 1.5 मीटर एवं प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। भू–भाग के 9724 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन हुआ है। क्रशर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 1,09,200 |
| द्वितीय | 1,09,200 |
| तृतीय | 1,09,200 |

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 15 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 300 नग पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

    i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 1 एवं 102 क्षेत्रफल 3.76 हेक्टेयर, क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/02/2017 द्वारा जारी की गई।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

    iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 491/खनि.शा./2020 जशपुर, दिनांक 25/02/2020 के अनुसार जनवरी, 1998 से फरवरी, 2018 तक 14,586 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Coror) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 1.08 | 2% | Rs. 2.16 | Following activities at Nearby Government Middle School Village-Boki | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.70 |
| | | | Potable Drinking water Facility | Rs. 0.22 |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.20 |
| | | | Plantation | Rs. 1.04 |
| | | | **Total** | **Rs. 2.16** |

14. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है। वर्तमान में उत्खनन क्षमता में वृद्धि कर 15,000 टन प्रतिवर्ष से 1,09,200 टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

15. समिति की संज्ञान में यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र लगभग 40 से 50 प्रतिशत वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है। परियोजना प्रस्तावक अनुसार उन क्षेत्रों में उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा। माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार रिजर्व की गणना उपयुक्त नहीं है। अतः लीज क्षेत्र में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर माईनेबल रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
2. लीज क्षेत्र में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर माईनेबल रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 द्वारा परियोजना प्रस्तावक एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/07/2020 एवं 20/08/2020 को प्रस्तुत किया गया।

**(स) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/06/2020 एवं 20/07/2020 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 07/09/2017 द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है:–

   "Regional offices of the Ministry are requested to submit certified compliance report within one month of receipt of such requests from the Member Secretary of the sectoral EAC. In case the inspection is not carryout within one month, the certified compliance report from the concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) of the Member Secretaries of the respective State Pollution Control Boards shall also be accepted for deliberations by the sectoral EAC"
2. लीज क्षेत्र में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर माईनेबल रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,76,784 टन, ब्लॉक्ड रिजर्व 4,20,784 टन, माईनेबल रिजर्व 1,56,000 टन एवं रिकव्हरेबल 1,40,400 टन है। प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था** कि उपरोक्त ओ.एम. के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को अनुरोध किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/10/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 31/12/2020 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(द) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 2, 4, 7 एवं 10 का आंशिक पालन तथा बिन्दु क्रमांक 8, 9, 11 एवं 13 का पालन अपूर्ण होने का उल्लेख है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का पालन पूर्ण रूप से किये जाने के उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 354वीं बैठक दिनांक 28/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(इ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक 2, 4, 7 एवं 10 का पालन तथा बिन्दु क्रमांक 8, 9, 11 एवं 13 का पालन प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 396/खनि. शा./2020 जशपुर, दिनांक 07/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बोकी) का रकबा 3.76 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री विजय कुमार गुप्ता (स्टोन माईन ऑफ मेकिंग गिट्टी) की ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 1 एवं 102 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.76 हेक्टेयर, क्षमता – 1,09,200 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री विजय कुमार गुप्ता (स्टोन माईन ऑफ मेकिंग गिट्टी) की ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 1 एवं 102 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.76 हेक्टेयर, क्षमता – 1,09,200 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**22. मेसर्स ओम मिनरल्स (प्रो.– श्री जितेन्द्र हासवानी, जोरातराई लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1203)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 144862/2020, दिनांक 23/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण –** यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 165/4, कुल क्षेत्रफल–0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–9,281.25 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 03/07/2020 एवं दिनांक 04/07/2020 की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 336वीं बैठक दिनांक 31/08/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र हासवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोरातराई का दिनांक 08/03/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.),

जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./तीन–6/ख.लि./2016/569 रायपुर, दिनांक 05/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – खनि निरीक्षक द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 9 खदानें, क्षेत्रफल 11.39 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – नायब तहसीलदार, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2997/प्रवा.ना.तह./2019 राजनांदगांव, दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज श्री जितेन्द्र हासवानी के नाम पर है, लीज डीड 5 वर्षो अर्थात् दिनांक 30/09/1995 से 29/09/2000 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 30/09/2000 से 29/09/2010 तक की अवधि हेतु वैध था। लीज डीड का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 30/09/2010 से 29/09/2020 तक की अवधि हेतु वैध था। तत्पश्चात् लीज डीड में 05 वर्षों की दिनांक 30/09/2020 से 29/09/2025 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./न.क. 10–1/2020/1397 राजनांदगांव, दिनांक 06/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.56 कि.मी. की दूरी पर है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुढ़ीपार 1.29 कि.मी, स्कूल ग्राम–बिरेझर 1.13 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बिरेझर 1.17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.98 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10.7 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 7.58 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,03,375 टन, माईनेबल रिजर्व 2,06,445 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,85,800 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी–मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 158 घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | गहराई (मीटर) | आयतन (घनमीटर) | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम | 875 | 1.5 | 1,312 | 3,281 |
| द्वितीय | 1,200 | 1.5 | 1,800 | 4,500 |
| तृतीय | 1,575 | 1.5 | 2,362 | 5,906 |
| चतुर्थ | 2,000 | 1.5 | 3,000 | 7,500 |
| पंचम | 2,475 | 1.5 | 3,712 | 9,281 |

**नोटः** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत से सहमति ली जाएगी।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 550 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 165/4, कुल क्षेत्रफल – 0.809 हेक्टेयर, क्षमता – 9,281.25 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1782/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 23/07/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

| वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|
| अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 | 600 |
| 2011 | 3,100 |
| 2012 | 1,000 |
| 2013 | 3,800 |
| 2014 | 11,000 |
| 2015 | 15,500 |
| 2016 | 13,500 |
| 2017 | 12,000 |
| 2018 | 5,000 |
| 2019 | 4,500 |
| जनवरी 2020 से जून 2020 | 500 |

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–**

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर सेफ्टी जोन के कुछ भागों में किये गये उत्खनन का विवरण एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) का समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने बाबत् जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।

4. विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 एवं 02/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/02/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(इ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. मॉडिफाईड क्वारी प्लान अंतर्गत रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 7.5 मीटर सेफ्टी जोन में 2,474 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। फ्लाई ऐश एवं मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में (7,097.5 घनमीटर) डालकर वृक्षारोपण किया जाएगा।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4018/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
3. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (वित्तीय वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
5. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. खनि निरीक्षक द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव को प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 9 खदानें, क्षेत्रफल 11.39 हेक्टेयर होना बताया गया है। आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) का रकबा 0.809 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जोरातराई) को मिलाकर रकबा 12.19 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit certificate regarding cluster formation within 500 meter radius from the mine, from the concerned department.

   iv. Project proponent shall submit top soil managment & Incorporate the details in the EIA report.

   v. Project proponent shall submit the previous year production (Financial year) detail.

   vi. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

   viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

   ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण

उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

**23. मेसर्स श्री नवकार स्टोन्स (पार्टनर–श्री राहुल कोठारी, डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1481)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33139/2019, दिनांक 16/03/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/186043/2018, दिनांक 02/12/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 118/1 एवं 118/2, कुल क्षेत्रफल–4.448 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/09/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 02/12/2020 को प्रस्तुत की गई है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 351वीं बैठक दिनांक 10/12/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत ई.आई.ए./जानकारी का परीक्षण कर पाया गया कि प्रकरण ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण का है। समिति द्वारा **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल कोठारी एवं श्री जितेश जैन, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 01/05/2019 का जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2019/2326 रायपुर, दिनांक 19/02/2019 द्वारा अनुमोदित की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 478/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 11 खदानें, क्षेत्रफल 9.2 हेक्टेयर है।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 478/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/05/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **एल.ओ.आई. का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 33/2020 विरूद्ध कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव के परिपेक्ष्य में न्यायालय संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4707/खनि–2/न.क्र.33/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/11/2020 द्वारा जारी पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त में "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), राजनांदगांव के पत्र दिनांक 28/01/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता मेसर्स नवकार स्टोन्स, पार्टनर श्री राहुल कोठारी, निवासी लखोली रोड राजनांदगांव द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत् उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुये प्रकरण कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" के लिए आदेश जारी किया गया है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री कुशालचंद कोठारी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./10–2/4253/राजनांदगांव, दिनांक 28/05/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार वन कक्ष क्रमांक 551 से 8.19 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ठेलकाडीह लगभग 1 कि.मी. अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थान ग्राम–ठेलकाडीह 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन राजनांदगांव लगभग 15 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग लगभग 0.34 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 20 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,79,200 टन एवं माईनेबल रिजर्व 11,50,374 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 10,92,855 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.633 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर होगी। वर्तमान उत्खनन योजना के तहत् 6 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। बेंच की ऊंचाई 3 चौड़ाई 3 मीटर होगी। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 22 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | गहराई (मीटर) | आयतन (घनमीटर) | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम | 8,334 | 3 | 25,000 | 50,000 |
| द्वितीय | 8,334 | 3 | 25,000 | 50,000 |
| तृतीय | 8,334 | 3 | 25,000 | 50,000 |
| चतुर्थ | 8,334 | 3 | 25,000 | 50,000 |
| पंचम | 8,334 | 3 | 25,000 | 50,000 |

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी में आवेदन किया जाना बताया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:**–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के

अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 26.28 से 43.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 47.2 से 66.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 9.08 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 11.33 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 54.23 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.24 डीबीए से 44.32 डीबीए पाया गया।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 95.25 | 2% | 1.90 | Following activities at Nearby Government Primary School Village-Dumardihkala | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.80 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.30 |
| | | | Running Water Facility for Boys & Girls Toilets | 0.20 |
| | | | Plantation with Fencing | 0.61 |
| | | | Total | 1.91 |

17. जारी टी.ओ.आर. के अतिरिक्त बिन्दु क्रमांक 3, 5, 8 एवं 9 की पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

18. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुतीकरण एवं मॉनिटरिंग की सूचना हेतु प्रेषित पत्र में मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 के मध्य किया जाना बताया गया है। जबकि प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट में मॉनिटरिंग कार्य नवम्बर 2018 से जनवरी 2019 तक किया जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही प्रस्तुत आंकड़ों में भी भिन्नता है। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

19. **लोक सुनवाई का विवरण** – लोक सुनवाई दिनांक 30/09/2020 दोपहर 12:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत डुमरडीहकला के मंगल भवन के प्रांगण में ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई

दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 05/11/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. क्रशर प्लांटों के द्वारा नहरों में मिट्टी डाली जाती है, जिससे गांव के नहर–नालियां जाम हो रही है। खदानों की गहराई बढ़ने से गांव के मवेशी अक्सर इनमें गिर जाते है। रात में इन क्रशर प्लांटों से बदबू आती है और डस्ट से पर्यावरण प्रदूषण होती है। खासकर बच्चों के स्कूल जाने के दौरान गाड़ियों की अधिक आवाजाही होने से दुर्घटना की संभावना होती है और धूल से प्रदूषण होता है।

ii. स्थानीय ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। श्रम कानून का पालन नहीं किया जाता है। काम के घंटे तय नहीं होते है तथा लोगों को वेतन भी समय पर नहीं दिया जाता है।

iii. ब्लास्टिंग से खेतों के बोर धस जाते है तथा शासकीय जगह पर भी अवैध रूप से कब्जा कर खनन किया जा रहा है। क्रशर प्लांटों के खुलने से गांव के जानवरों के लिए चारागाह नहीं बचे है।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–**

i. इस परियोजना में क्रशर यूनिट की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। खदान क्षेत्र के चारों ओर पक्की फेंसिंग कर, वृक्षारोपण किया जाएगा। जिससे पशुओं की खदान में गिरने की संभावना नहीं है। खदान में खनन बंद होने के बाद स्थल को तालाब के रूप में उपयोग किया जाएगा। शासकीय प्राथमिक शाला डुमरडीहकला एवं ठेल्काडीह में स्कूल के चारों ओर तारों का घेराव कर वृक्षारोपण, टॉयलेट एवं पानी टंकी की व्यवस्था कराई जाएगी।

ii. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। खदान के श्रमिकों को नियमित रूप से मासिक वेतन दिया जाएगा एवं नियामानुसार वेतन में वृद्धि होगी।

iii. ब्लास्टिंग कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत किया जाएगा। ब्लास्टिंग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में कन्ट्रोल ब्लास्टिंग की जाएगी जिससे बोर धसने जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। स्वीकृत लीज क्षेत्र पर ही खनन किया जाएगा। प्रस्तावित खनन क्षेत्र निजी भूमि है। अतः चारागाह की भूमि उपलब्ध नहीं होने जैसी स्थिति नहीं है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. मॉनिटरिंग कार्य नवम्बर 2018 से जनवरी 2019 तक किया गया अथवा अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 के मध्य किया गया है। इस संबंध में प्रमाणिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत की जाए तथा आंकड़ों की भिन्नता के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष

ऊपरी मिट्टी के उचित रख–रखाव के प्रस्ताव सहित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत की जाए।

3. उत्खनन हेतु भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी/डी.जी. एम.एस. से अनुमति संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
6. रिक्लेमेशन प्लान (Reclaimation Plan) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2019 से दिसम्बर 2019 के मध्य किया गया है। इस संबंध में प्रमाणिक जानकारी/दस्तावेज के रूप में मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आंकड़ें एवं ऑनलाईन फॉर्म की प्रति प्रस्तुत की गई है। आंकड़ों की भिन्नता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का स्पष्टीकरण है कि त्रुटि वश हार्ड कॉपी में नवम्बर 2018 से जनवरी 2019 का उल्लेख हो गया है।
2. ऊपरी मिट्टी की मात्रा 38,142 घनमीटर है, जिसमें से 9,507 घनमीटर मिट्टी को 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा एवं शेष 28,635 घनमीटर को लगी हुई स्वयं की भूमि में भण्डारित कर वृक्षारोपण किया जाएगा। शेष मिट्टी को स्वयं की भूमि में भण्डारित किये जाने हेतु खनि अधिकारी, जिला–राजनांदगांव में किये गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. भूमि श्री राहुल कोठारी एवं श्री जितेश जैन के नाम पर है, जो कि इस खदान के पार्टनर है। इस हेतु भू–दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किये जाने के लिए संचालक, डी.जी.एम. एस. में किये गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है।
5. आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से किए जाने हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने हेतु किये गये आवेदन की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. माईन क्लोजर रिक्लेमेशन प्लान (Reclaimation Plan) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार खदान में उत्खनन समाप्त होने के उपरांत क्षेत्र को तालाब एवं मछली पालन के रूप में उपयोग के लिए विकसित किया जाना बताया गया।
7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an Individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 478/ख. लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 11 खदानें, क्षेत्रफल 9.2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—डुमरडीहकला) का रकबा 4.448 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 13.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी—1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट, जनसुनवाई एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स श्री नवकार स्टोन्स (पार्टनर—श्री राहुल कोठारी, डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी) की ग्राम—डुमरडीहकला, तहसील व जिला—राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 118/1 एवं 118/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल — 4.448 हेक्टेयर, क्षमता — 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 38,142 घनमीटर को सीमा पट्टी 0.633 हेक्टेयर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 28,635 घनमीटर को स्वयं के भूमि पर भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक — मेसर्स श्री नवकार स्टोन्स (पार्टनर—श्री राहुल कोठारी, डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी) की ग्राम—डुमरडीहकला, तहसील व जिला—राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 118/1 एवं 118/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल — 4.448 हेक्टेयर, क्षमता — 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**24. मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (अम्बिका ओपन कास्ट प्रोजेक्ट), ग्राम—करतला, तहसील—पाली, जिला—कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 470)**

**ऑनलाईन आवेदन** — पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/16502/2016, दिनांक 25/06/2016 द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया

गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 17/02/2020 को ऑफलाईन में प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** -- यह प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल परियोजना है। ग्राम–करतला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–134.192 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। कोल माईन क्षमता–1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (नॉर्मेटिव) / 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (पीक) है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1067, दिनांक 25/11/2016 द्वारा कोल माईन क्षमता–1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (नॉर्मेटिव) एवं 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (पीक) हेतु टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया था, जिसमें एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2019 द्वारा एक वर्ष की वैधता वृद्धि की गई है।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना प्रस्तुत की जाए।
3. कोल के परिवहन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
5. वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षों की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार प्रसाद, डॉयरेक्टर तकनीकी एवं श्री जी.एस. टोपाजी, महाप्रबंधक (पर्यावरण) उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना से 440 परिवार प्रभावित होगें, जिन्हें क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 213 परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है तथा शेष 227 परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदाय की जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2. **भूमि का विवरण** – कुल एरिया 134.192 हेक्टेयर है, जिसमें टेनेन्सी लैण्ड 132.407 हेक्टेयर एवं शासकीय/अन्य भूमि 1.785 हेक्टेयर है। वन भूमि नहीं है। क्वारी क्षेत्र 89.20 हेक्टेयर, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र 1.76 हेक्टेयर, एक्सटर्नल ओव्हर बर्डन डम्प 25.325 हेक्टेयर एवं सेफ्टी बेल्ट क्षेत्र 17.89 हेक्टेयर है। पोस्ट

माईनिंग लेण्ड यूज के अनुसार रि–क्लेम्ड इंटरनल डम्प बैकफिल्ड एरिया 51.72 हेक्टेयर, वाटर बॉडी 37.48 हेक्टेयर, रि–क्लेम्ड एक्सटर्नल ओव्हर बर्डन डम्प क्षेत्र 25.325 हेक्टेयर है। भूमि भारत सरकार के कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के तहत् अधिकृत की गई है।

3. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – समीपस्थ आबादी शहर कोरबा 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन गेवरा 30 कि.मी. की दूरी पर है। राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। गंजन नाला 6 कि.मी. दूर है।

4. **माईनेबल कोल रिजर्व** – कुल माईनेबल कोल रिजर्व की मात्रा 7.6 मिलियन टन है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है, जिसमें एक वर्ष डेव्हलपमेंट कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष की माईन क्लोजर प्लान प्रस्तावित की गई है।

5. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया हैं।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – उत्खनन सरफेस माईनिंग एवं वेट ड्रिलिंग पद्धति से की जाएगी। फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – खदान से उत्पन्न ओव्हर बर्डन डम्प का कुल एरिया 51.72 हेक्टेयर प्रस्तावित है। कुल उत्पन्न ओव्हर बर्डन की मात्रा 24 मिलियन घनमीटर होगी। फ्लाई ऐश अधिसूचना 2009 के पालन में 3 घनमीटर के साथ 1 घनमीटर फ्लाई ऐश को मिलाकर बैक फिलिंग किया जाना प्रस्तावित है, जिससे लगभग 2 मिलियन टन फ्लाई ऐश का अपवहन होगा।

8. **कोल परिवहन की व्यवस्था** – वर्तमान में कोल का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाएगा। प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेल क्वारीडोर के अंतर्गत अम्बिका एवं करताली रेलवे साईडिंग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उक्त रेलवे साईडिंग के निर्माण उपरांत कोल का परिवहन रेलमार्ग से किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

   - **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 225 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। जल का उपयोग माईन पिट वॉटर से किया जाना प्रस्तावित है।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – माईन डिस्चार्ज वाटर के उपचार हेतु माईन सम्प का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अम्लीय जल उत्पन्न नहीं होना बताया गया है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

10. **वृक्षारोपण कार्य** – कुल क्षेत्रफल 17.89 हेक्टेयर में लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 45,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल, 2017 से जून, 2017 (Summer season) में किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 6 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 10 से 86 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42 से 98 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 6.87 से 22.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 17.8 से 37 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.1 डीबीए से 49.2 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 39.8 डीबीए से 40.9 डीबीए पाया गया।

12. लोक सुनवाई दिनांक 11/10/2019 दोपहर 11:00 बजे स्थान पूर्व माध्यमिक शाला, आदिम जाति कल्याण, करतली, विकासखण्ड–पाली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।

13. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. मेसर्स अंबिका ओपन कास्ट कोल माईन्स खुलने से प्रभावितों को नौकरी पुनर्वास एवं अन्य सुविधाओं का पूर्ण विवरण देवें। तथा प्राथमिकता से पात्र लोगों को नौकरी शीघ्र देवें।

ii. पांचवी अनुसूची में कोरबा क्षेत्र आता है, यहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर प्रदत्त अधिकारों के तहत विरोध करते है।

iii. माईन खोले जाने से लगभग 05–06 लाख राजकीय वृक्ष की कटाई किये जाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होगा।

iv. माईन के खुलने से 25 से 30 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावित कृषकों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

v. माईन के चारों ओर छोटे बड़े नदी, नाले है, जिनमें निरन्तर बहाव होने के कारण जल स्तर काफी अच्छी स्थिति में रहता है, जो कि अधिकांश प्रभावित किसानों की पेयजल की एकमात्र सुविधा है। खदान खुलने से कृषकों को सिंचाई एवं अपने जिविकोंपार्जन की विकट समस्या से गुजरना पड़ेगा, जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं है।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–**

i. अंबिका ओपन कास्ट परियोजना हेतु अधिग्रहित निजी भूमि के एवज में 155 रोजगार कोल इंडिया के दिशा निर्देश के अनुरूप एवं डी.आर.आर.सी. द्वारा अनुमोदित है, इसके अतिरिक्त प्रभावित भू–स्वामियों जो रोजगार की पात्रता नहीं रखते है, उन्हे प्रति एकड़ 05 लाख रूपये की दर से वित्तिय सहायता प्रदान की जायेगी। जो कि न्यूनतम 50 हजार रूपये होगी।

ii. खदान क्षेत्र को कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जन किया गया है। देश में कोयले की मांग एवं पूर्ति के अंतर को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह परियोजना प्रारंभ की जावे।

iii. प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 10,583 वृक्ष की कटाई किया जाना प्रस्तावित है, इसके एवज में वन विभाग राज्य सरकार द्वारा अन्य वन भूमि में वृक्षारोपण किया जावेगा, इसके अलावा परियोजना द्वारा आगामी वर्षों में डम्प क्षेत्र पर वृहद वृक्षारोपण कराया जायेगा।

iv. खदान क्षेत्र की 10 किलोमीटर परिधि में आने वाले क्षेत्र में पर्यावरण व जन जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के आंकलन एवं उचित उपायों एवं समाधानों हेतु तकनीकी अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाई गयी है, जिसका पालन परियोजना प्रबंधन द्वारा किया जायेगा।

v. परियोजना प्रारंभ होने से निकट क्षेत्र से गुजरने वाले छोटे बड़े नदी नालों पर प्रतिकुल प्रभावों को कम करने हेतु आवश्यक उपाय किये जायेंगें। खदान से उत्पन्न जल को सेटलिंग टैंक व फिल्टर प्लांट के माध्यम से उपचार पश्चात् निकट ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं सिचाई हेतु आपूर्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त खदान सम्प में एकत्रित वर्षा जल भण्डार खदान से खनन कार्य समाप्ति पश्चात् निकट ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

14. मॉनिटरिंग कार्य केवल 6 स्थानों पर 3 किलोमीटर की परिधि में किया गया है, जबकि मॉनिटरिंग 10 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 8 स्थानों पर किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार अनुमानित अधिकतम ग्राउण्ड लेवेल कंसंट्रेशन ध्वनि प्रदूषण की गणना में परिवहन से होने वाले प्रभाव का अंकलन नहीं किया गया है।

15. माईन वॉटर की मात्रा एवं इसके उपचार हेतु प्रस्तावित माईन सम्प की क्षमता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता एवं विभिन्न यूनिट्स का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपचारित माईन वॉटर का निस्सारण समीपस्थ नाले में किया जाना बताया गया है। लीज क्षेत्र के बगल से नाला प्रवाहित होना बताया गया है तथा गंजन नाला 6 कि.मी. दूर है। उपचारित माईन वॉटर का निस्सारण किये जाने से नाले की जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. फ्लाई ऐश का अपवहन केवल बैक फिलिंग में किया जाना बताया गया है, जबकि फ्लाई ऐश अधिसूचना 2009 के अनुसार फ्लाई ऐश का अपवहन एक्सटर्नल ओव्हर बर्डन डम्प के साथ भी किया जाना आवश्यक है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूमि भारत सरकार के कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जन की गई है। अतः भूमि हेतु PESA Act, 1996 के तहत् अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. 10 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 3 अतिरिक्त स्थानों (02 प्रीडोमिनेटिंग विन्ड एवं 01 लीवर्ड दिशा में) पर 3 सप्ताह की अतिरिक्त मॉनिटरिंग की जा तथा तदनुसार आंकलन किया जाए। इसी प्रकार 3 स्थानों पर ध्वनि एवं जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग तथा तदनुसार आंकलन किया जाए। साथ ही परिवहन से परिवेशीय वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता का अध्ययन कर गणना प्रस्तुत की जाए।

2. लीज क्षेत्र के समीप प्रवाहित समस्त फर्स्ट ऑर्डर ड्रेन्स (First order drain) पर उपचारित माईन वॉटर का निस्सारण किये जाने से जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं होने के संबंध अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

3. माईन वॉटर की मात्रा, उपचार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता एवं विभिन्न यूनिट्स का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

4. फ्लाई ऐश अधिसूचना 2009 के अनुसार फ्लाई ऐश का अपवहन एक्सटर्नल ओव्हर बर्डन डम्प के साथ किये जाने का तकनीकी अध्ययन एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र में अवस्थित 10,583 नग वृक्षों की कटाई किये जाने हेतु क्षतिपुर्ति के तहत् लीज क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. भूमि भारत सरकार के कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जन किये जाने पर भूमि हेतु PESA Act, 1996 के तहत् अनुमति की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देश की प्रति प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 25/06/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/08/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी, स्थल निरीक्षण के उपरांत सी. ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ए.एस.बापत, महाप्रबंधक (पर्यावरण) एवं श्री आई.डी. नारायण उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. 10 किलोमीटर की परिधि में 3 अतिरिक्त स्थानों पर 3 सप्ताह की (01 जून, 2020 से) अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई है। इसी प्रकार 3 स्थानों पर ध्वनि एवं जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग तथा तदनुसार आंकलन किया गया है। साथ ही परिवहन से परिवेशीय वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता का अध्ययन कर गणना प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसारः–

   पी.एम.$_{2.5}$ 22 से 40 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 62 से 85 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 14 से 26 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 15 से 26 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40 डीबीए से 40.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 38.7 डीबीए से 39.6 डीबीए पाया गया।

2. लीज क्षेत्र के समीप प्रवाहित समस्त (दो) फर्स्ट ऑर्डर ड्रेन्स (First order drain) पर उपचारित माईन वॉटर का निस्सारण से जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं होने के संबंध अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

3. माईन वॉटर की मात्रा, उपचार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता एवं विभिन्न यूनिट्स का विवरण प्रस्तुत किया किया गया है। जिसके अनुसार माईन वॉटर की मात्रा – 818 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसमे से परियोजना (डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण) हेतु 210 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। शेष निस्तारित जल की मात्रा – 608 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसके उपचार हेतु सेटलिंग टैंक का निर्माण प्रस्तावित है एवं इसका उपयोग खदान की सीमा से लगे हुए गावों में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। कॉलोनी से जनित घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु घरेलू दूषित जल उपचार संयंत्र क्षमता – 25 घनमीटर प्रतिदिन एवं ऑफिस कार्यालय से जनित दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

4. फ्लाई ऐश अधिसूचना, 2009 के अनुसार फ्लाई ऐश का अपवहन एक्सटर्नल ओव्हर बर्डन डम्प के साथ किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु तकनीकी अध्ययन खदान प्रारम्भ होने के पश्चात् कराया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन प्रारंभ होने पर जनित ओवर बर्डन में तकनीकी अध्ययन के अनुरूप फ्लाई ऐश मिलाकर अपवहन किया जायेगा। कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा दिनांक 17/04/2020 को जारी गाईडलाईन "ऑफरिंग माईन व्हाइड्स फॉर फ्लाई ऐश डिस्पोजल" का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. लीज क्षेत्र में अवस्थित 10,583 नग वृक्षों की कटाई किये जाने हेतु क्षतिपुर्ति के तहत् लीज क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण के संबंध में बताया गया है कि वनमंडलाधिकारी, कटघोरा से वृक्षारोपण बाबत् भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, स्थल चयन उपरांत वन विभाग के परामर्श अनुसार वन विकास निगम के माध्यम से 1,00,000 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है।

6. भारत सरकार के कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जन किये जाने पर भूमि हेतु PESA Act, 1996 के तहत् अनुमति की आवश्यकता नहीं होने बाबत् लिगल ओपिनियन प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है।

7. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् रूपये 2.5 करोड़ की राशि प्रस्तावित होना बताया गया है। उक्त राशि के व्यय हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं की गई है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि खदान प्रबंधन द्वारा पूर्व में मॉनिटरिंग कार्य अप्रैल, 2017 से जून, 2017 (Summer season) में किया गया था एवं तीन स्थलों पर 3 सप्ताह (जून, 2020) की अतिरिक्त मॉनिटरिंग की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में मानसून की अवधि सामान्यतः 10 जून से 15 अक्टूबर तक होती है। तीन स्थलों पर अतिरिक्त मॉनिटरिंग मानसून के दौरान किया गया है। अतः प्राप्त परिणाम प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। मॉनिटरिंग का कार्य गैर मानसून मौसम में किया जाना आवश्यक है। अतः पूर्व चयनित 06 स्थलों एवं अतिरिक्त 03 स्थलों को शामिल करते हुये सभी 9 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एम्बिएंट एयर की मॉनिटरिंग 1 माह की अवधि हेतु किया जाए।

2. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों द्वारा आस पास के गावों में पेयजल की समस्या होना बताया गया है। अतः आस–पास के जिन गावों में पेयजल की समस्या हो अथवा संभावित हो, उन स्थानों को चिन्हांकित कर पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना स्थल से 25 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र में आने वाले शासकीय संस्थानों (स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों/स्वास्थ्य केन्द्रों) में आवश्यकता पर आधारित सर्वे कर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण तथा इस्टिमेट) सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् व्यय किये जाने का समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 13/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(इ) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व चयनित 06 स्थलों एवं अतिरिक्त 03 स्थलों को शामिल करते हुये सभी 9 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दिनांक 16/10/2020 से 16/11/2020 तक एम्बिएंट एयर की मॉनिटरिंग की गई है, जिसके अनुसार:–

पी.एम.$_{2.5}$ 26.1 से 45.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 60.1 से 97.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 10.1 से 24.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 17.4 से 36.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है।

2. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से ग्राम–करतली एवं मद्रपारा के स्थानीय निवासियों द्वारा गावों में पेयजल की समस्या का मुद्दा उठाया गया था। यह दोनों गांव खदान के कोर जोन में स्थित है जिसका भू–अधिग्रहण कर पुनःविस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग द्वारा सर्वे के दौरान पाया गया कि गांवों में बोरवेल, हैंड पम्प आदि के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकतानुसार इसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा तथा परियोजना प्रारंभ होने के पश्चात् माईन वॉटर युटिलाईजेशन कार्यक्रम अंतर्गत आस–पास के गांवों में उचित व्यवस्था की जाएगी।

3. परियोजना स्थल से 25 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र में आने वाले शासकीय संस्थानों हेतु सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/02/2021 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(ई) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना स्थल से 25 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र में आने वाले शासकीय संस्थानों में (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग–62 संस्थानों में, रनिंग वॉटर फेसिलिटी–32 संस्थानों में, पीने योग्य पानी–40 संस्थानों में, सोलर पैनल सिस्टम की स्थापना–68 संस्थानों में एवं वाटर ए.टी.एम.–2 संस्थानों में) सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल परियोजना को ग्राम–करतला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–134.192 हेक्टेयर में कोल माईन क्षमता–1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (नॉर्मेटिव) / 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (पीक) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल परियोजना को ग्राम–करतला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–134.192 हेक्टेयर में कोल माईन क्षमता–1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (नॉर्मेटिव) / 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (पीक) हेतु निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Project Proponent shall provide clariflocculator of adequate capacity usino coagulation, flocculation and settling process followed by rapid sand filter f treatment of mine water. Treated mine water shall be utilized within premises for beneficial purposes as far as possible."

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**25. मेसर्स श्री चन्द्रमणी सोनी (पितईबंद सेण्ड माईन, ग्राम–पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद), सेक्टर–11, जोन 1 खुर्शीपार, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1394)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल **नम्बर** – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 173456/2020, दिनांक 16/09/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 63,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पितईबंद का दिनांक 10/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन पृ.क्रमांक 3951/खनि02/सा.रेत अनु./न.क्र.19/2020 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/401/खनि/न.क्र/2018 गरियाबंद, दिनांक

19/06/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/06/2018 को जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि वर्तमान में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदान अवस्थित है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 1009/खनि/रेत/न.क्र/2020 गरियाबंद, दिनांक 07/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज डीड का विवरण** – लीज श्री चन्द्रमणी सोनी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 823/खनि/रेत नीलामी/2019 गरियाबंद, दिनांक 23/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./5277 गरियाबंद, दिनांक 01/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज सीमा से वन क्षेत्र की दूरी 10 कि.मी. है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पितईबंद 4 कि.मी., स्कूल ग्राम–पितईबंद 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजिम 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1,134 मीटर, न्यूनतम 1,072 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 247 मीटर एवं चौड़ाई – 196 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 30 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 63,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की

गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.72 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः—**

i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत पितईबंद के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 01, क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर, क्षमता—49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/09/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत पितईबंद को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री चन्द्रमणी सोनी के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। शर्तानुसार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019—20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व में निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 1335/ख.लि./न.क्र./2020 गरियाबंद, दिनांक 05/12/2020 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---|---|
| 2018—19 | निरंक |
| 2019—20 | 8,000 |
| 2020—21 | 2,000 |

v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

vi. शर्तानुसार कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य नहीं किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 07/10/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 92.93 | 2% | 1.85 | Following activities at Nearby Government Primary & Middl School Village- Pitaiband | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.70 |
| | | | Solar Panel System | 0.70 |
| | | | Potable Drinking water Facility | 0.15 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.20 |
| | | | Plantation | 0.11 |
| | | | **Total** | **1.86** |

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र –** नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 1,134 मीटर, न्यूनतम 1,072 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 30 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 120 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 17,500 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.15 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019–20 एवं रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) वर्ष 2020 में निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर लिए गये रेत सतह के लेवल्स (Levels) को ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। साथ ही उक्त सर्वे के आधार पर रेत पुनःभराव की पुष्टि हेतु तुलनात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की वास्तविक लंबाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य पूर्ण करते हुये, विस्तृत कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 28/01/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/75/खनि/न.क्र/2021 गरियाबंद, दिनांक 25/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों संबंधी प्रमाण पत्र में त्रुटि है।

2. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु 40 मीटर गुणा 40 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर प्री–मानसून डाटा दिनांक 01/06/2019, पोस्ट–मानसून डाटा दिनांक 12/10/2019 एवं प्री–मानसून डाटा दिनांक 25/05/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1,134 मीटर, न्यूनतम 1,072 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 247 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 197 मीटर, न्यूनतम 195 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य पूर्ण करते हुये, विस्तृत कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/152/खनि/न.क्र/2021 गरियाबंद, दिनांक 10/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य पूर्ण करते हुये, विस्तृत कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत

पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–पितईबंद) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री चन्द्रमणी सोनी, पितईबंद सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 17,500 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.15 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 47,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री चन्द्रमणी सोनी, पितईबंद सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–पितईबंद, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 17,500 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.15 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 47,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**26. मेसर्स श्री प्यारे लाल साहू (दर्रीटोला आर्डिनरी क्वारी), ग्राम–दर्रीटोला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1497)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 189470/2020, दिनांक 23/12/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दर्रीटोला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 208/1, 208/2 एवं 211, कुल क्षेत्रफल–1.113 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,502 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण–**

**(अ) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 07/01/2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्यारे लाल साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत महराजपुर का दिनांक 19/06/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉगविथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/3634/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2020, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 3633/खनिज/उ.प./2020 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/12/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर है। प्रस्तुत 500 मीटर प्रमाण पत्र में खदानों के बीच की दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः 500 मीटर का संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/3632/खनिज/उ.प./2020, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /3490/खनिज/उ.प./दर्रीटोला/2020/ कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/11/2020 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।
6. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री उपेन्द्रनाथ सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.), मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/526 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 13/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.25 कि.मी. से अधिक दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दर्रीटोला 2.5 कि.मी एवं स्कूल ग्राम–दर्रीटोला 2.5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 6.8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,52,428 टन, माईनेबल रिजर्व 1,13,821 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,08,130 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,890 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,120 घनमीटर है। इसको सीमा पट्टी (7.5 मीटर) फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 13,503 |
| द्वितीय | 13,503 |
| तृतीय | 13,503 |
| चतुर्थ | 13,503 |
| पंचम | 13,503 |

**आगामी वर्षों का उत्खनन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| छष्ठम | 11,356 |
| सप्तम | 11,340 |
| अष्टम | 8,910 |
| नवम | 7,776 |
| दशम | 6,755 |

**नोट:** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 16.22 | 2% | 0.324 | Following activities at Government Primary School, **Village-Darritola** | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.25 |
| | | | Potable Drinking water Facility | 0.15 |
| | | | **Total** | **0.40** |

16. ब्लॉक्ड रिजर्व की मात्रा की गणना में त्रुटि है, जिसके कारण प्रस्तुत उत्खनन योजना में ब्लॉक्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कम बताया गया। अतः उक्त त्रुटि को सुधार कर संशोधित अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी अद्यतन जानकारी (खदानों के बीच की दूरी का उल्लेख करते हुये) प्रस्तुत की जाए।
3. उत्खनन हेतु भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/01/2021 को जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

**(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रिवाईज्ड क्वारी प्लान एलॉगविथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/205/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा अनुमोदित है। जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,52,428 टन, माईनेबल रिजर्व 1,00,473 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 9,54,493 टन है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 13,502 |
| द्वितीय | 13,502 |
| तृतीय | 13,503 |
| चतुर्थ | 13,503 |
| पंचम | 13,503 |

**आगामी वर्षों का उत्खनन योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| छष्ठम | 7,030 |
| सप्तम | 7,030 |
| अष्टम | 7,031 |
| नवम | 7,031 |
| दशम | 4,846 |

**नोटः** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/206/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/02/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर है।

3. उत्खनन हेतु भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/206/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/02/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–दर्रीटोला) का रकबा 1.113 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–दर्रीटोला) को मिलाकर कुल रकबा 3.613 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री प्यारे लाल साहू (दर्रीटोला आर्डिनरी क्वारी) की ग्राम–दर्रीटोला, तहसील–मनेन्द्रगढ़,

जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 208/1, 208/2 एवं 211 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.113 हेक्टेयर, क्षमता – 13,502 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री प्यारे लाल साहू (दर्रीटोला आर्डिनरी क्वारी) की ग्राम–दर्रीटोला, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 208/1, 208/2 एवं 211 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.113 हेक्टेयर, क्षमता – 13,502 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**27. मेसर्स आमाकोनी लाईन स्टोन क्वारी माईन (श्री अशोक बाजपेयी), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 910)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38183/2019, दिनांक 25/06/2019।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 63(पार्ट), 75, 76 एवं 78(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 1.13 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8,158.5 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 284वीं, 289वीं एवं 293वीं बैठक क्रमशः दिनांक 22/07/2019, 20/08/2019 एवं 17/09/2019 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 13/08/2019, 11/09/2019, 07/11/2019, 07/01/2021 एवं 03/02/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**28. मेसर्स मंदिर हसौद लाईन स्टोन क्वारी, (प्रो.– श्री इन्द्र कुमार टाकनदास) ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 874)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36425/2019, दिनांक 20/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/06/2019 एवं 12/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/06/2019 एवं 29/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 692, 693 एवं 694/1, कुल क्षेत्रफल – 1.072 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 45,900 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 292वीं, 295वीं एवं 297वीं बैठक क्रमशः दिनांक 16/09/2019, 19/09/2019 एवं 11/10/2019 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 28/09/2019, 10/01/2020, 07/01/2021 एवं 03/02/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से

समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**29. मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.– श्री मोहन लाल साहू), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 951)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी/ एमआईएन/40988/2019, दिनांक 07/09/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/11/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1408 एवं 1280/1, कुल क्षेत्रफल – 0.67 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3777.84 टन प्रतिवर्ष (फ्लेग स्टोन उत्पादन 3400.06 टन प्रतिवर्ष एवं स्टोन चिप्स 377.78 टन प्रतिवर्ष) है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 301वीं एवं 305वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/12/2019 एवं 16/01/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 13/01/2020, 15/01/2021 एवं 03/02/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**30. मेसर्स श्री अरविंद कुमार अग्रवाल (भरदा सेण्ड माईन, ग्राम–भरदा, तहसील व जिला–दुर्ग), बेरला रोड अहिवारा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1035)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127571/2019, दिनांक 26/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–भरदा, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 305वीं, 310वीं एवं 314वीं बैठक क्रमशः दिनांक 16/01/2020, 05/02/2020 एवं 26/02/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 31/01/2020, 22/02/2020, 09/06/2020 एवं 02/01/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**31. मेसर्स श्री दौलत सिंह चंदेल (नवागांव लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–नवागांव तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1236)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147784/2020, दिनांक 07/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल–1.215 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 322वीं एवं 328वीं बैठक क्रमशः दिनांक 18/05/2020 एवं 03/06/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 23/05/2020, 03/07/2020 एवं 02/01/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**32. मेसर्स श्री वैभव सलूजा (घामनसरा सेण्ड माईन, ग्राम–घामनसरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव), गोकुल ब्लॉक, डिडवानिया रेजेंसी, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1178)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 141756/2020, दिनांक 15/02/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–धामनसरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 79, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 98,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 317वीं, 319वीं, 321वीं, 323वीं, 329वीं एवं 330वीं बैठक क्रमशः दिनांक 29/02/2020, 13/05/2020, 15/05/2020 27/05/2020 04/06/2020 एवं 01/07/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 08/05/2020, 23/05/2020, 27/06/2020, 30/09/2020 एवं 02/01/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**33. मेसर्स श्री जितेन्द्र सिंह चौहान (छिंदगढ़ सेण्ड माईन, ग्राम–छिंदगढ़, तहसील व जिला–सुकमा), चौहान कॉम्पेक्स, बस स्टैण्ड छिंदगढ़, तहसील–छिंदगढ़, जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1160)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 140820/2020, दिनांक 04/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–छिंदगढ़, तहसील व जिला–सुकमा स्थित खसरा क्रमांक 230, कुल लीज क्षेत्र 5

हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन फूल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–95,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 328वीं एवं 330वीं बैठक क्रमशः दिनांक 03/06/2020 एवं 01/07/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 27/06/2020, 30/09/2020, 06/01/2021 एवं 04/02/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।**

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**34. मेसर्स श्री दौलत सिंह चंदेल (नवागांव लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1224)**

**ऑनलाईन आवेदन –** प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 146858/2020, दिनांक 03/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण –** यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवागांव, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल– 0.283 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 1,000 टन प्रतिवर्ष एवं क्रशिंग उत्पादन क्षमता–1,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 322वीं 327वीं, 331वीं एवं 336वीं बैठक क्रमशः दिनांक 18/05/2020, 02/06/2020, 02/07/2020 एवं 31/08/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 23/05/2020, 27/06/2020, 25/08/2020, 29/10/2020 एवं 02/01/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**35. मेसर्स श्री देवलाल साहू (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1230)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147390/2020, दिनांक 05/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 255/2(पार्ट), 258/2(पार्ट), 253/1(पार्ट) एवं 253/2(पार्ट) कुल क्षेत्रफल–0.485 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–5,000 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 322वीं 328वीं, 331वीं एवं 336वीं बैठक क्रमशः दिनांक 18/05/2020, 03/06/2020,

02/07/2020 एवं 31/08/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 23/05/2020, 27/06/2020, 25/08/2020, 29/10/2020 एवं 02/01/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**36. मेसर्स श्री धर्मेन्द्र चोपड़ा आर्डिनरी स्टोन क्वारी, ग्राम-टेकाठोड़ा, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 943)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/ 41526/2019, दिनांक 21/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 09/09/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 10/06/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-टेकाठोड़ा, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 11, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-6,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 333वीं एवं 337वीं बैठक क्रमशः दिनांक 04/07/2020 एवं 01/09/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 25/08/2020, 02/01/2021, 29/10/2020, 06/01/2021 एवं 04/02/2021 को पत्र

प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**37. मेसर्स कण्डरका ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री आयुष बड़वानी), ग्राम–कण्डरका, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 931)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40404/2019, दिनांक 31/07/2019।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–कण्डरका, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 846(पार्ट), 831/2 एवं 845, कुल क्षेत्रफल – 3.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 3,400 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 32,98,000 नग प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 291वीं, 294वीं, 304वीं, 307वीं, 333वीं एवं 337वीं बैठक क्रमशः दिनांक 22/08/2019, 18/09/2019, 12/12/2019, 18/01/2020, 04/07/2020 एवं 01/09/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 11/09/2019, 05/11/2019, 27/06/2020, 25/08/2020, 29/10/2020 एवं 02/01/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**38. मेसर्स मालेसर ब्रिक्सअर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री ओजस बड़वानी), ग्राम–मालेसर, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 932)**

**ऑनलाईन आवेदन –** प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40409/2019, दिनांक 31/07/2019।

**प्रस्ताव का विवरण –** यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–मालेसर, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 498, 499, 501, 502, 525, 526, 599/2, 601/1, 602, 603, 604, 607/1, 607/2(पार्ट), 610/1 एवं 610/3, कुल क्षेत्रफल – 3.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 2,551 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 24,74,470 नग प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 291वीं, 294वीं, 304वीं, 307वीं, 333वीं एवं 337वीं बैठक क्रमशः दिनांक 22/08/2019, 18/09/2019, 12/12/2019, 18/01/2020, 04/07/2020 एवं 01/09/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 11/09/2019, 05/11/2019, 13/01/2021, 27/06/2020, 29/10/2020 एवं 02/01/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक–पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–3** **परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरण पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स मोहरेंगा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री योगेन्द्र वर्मा), ग्राम–मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 709)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74583/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 51289/2018, दिनांक 20/05/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (मुख्य खनिज) है। खदान तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित ग्राम–मोहरेंगा खसरा क्रमांक 786/1 एवं 489 एवं ग्राम–खौलीडबरी, खसरा क्रमांक 738, 739, कुल लीज क्षेत्र 4.527 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 27,500 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/12/2018 द्वारा उल्लघंन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/11/2019 द्वारा लोक सुनवाई सहित जारी स्टैण्डर्ड टीओआर में लोक सुनवाई से छुट देते हुये टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 20/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 335वीं बैठक दिनांक 29/08/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। उनके द्वारा उपस्थित होकर पत्र दिनांक 29/08/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(द) समिति की 339वीं बैठक दिनांक 05/10/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 08/10/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को आयोजित बैठक दिनांक 08/10/2020 में पूर्व में चाही गई वांछित

जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

**(इ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेन्द्र वर्मा, प्रोपराईटर एवं सलाहकार के रूप में मेसर्स ओवरशीस माईन–टेक कन्सलटेन्टस की ओर से सुश्री अंजली (विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से) उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत मोहरेंगा द्वारा दिनांक 26/01/2004 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – रीव्यू ऑफ माईनिंग एण्ड प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के पत्र क्रमांक 1093/चूप/खयो/2017/रायपुर दिनांक 23/05/2017 (अवधि 2017–18 से 2020–21 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2197/ख.लि./तीन–6/2019 रायपुर, दिनांक 11/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 689.648 हेक्टेयर (मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट को सैद्धांतिक निर्णय लिया गया) है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहरेंगा एवं खौलीडबरी) का रकबा 4.527 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम है।
4. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – समीपस्थ आबादी ग्राम–मोहरेंगा 1.2 कि.मी. एवं ग्राम–खौलीडबरी 2.75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–मोहरेंगा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल खरोरा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22.5 कि.मी. है। सीजनल नाला 1.5 कि.मी. दूरी पर है।
5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज डीड श्री योगेंद्र वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् 19/11/2007 से 18/11/2037 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,84,617 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,63,499 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.88 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई लगभग 5 मीटर है। उत्खनन हेतु शेष क्षेत्रों पर ऊपरी मिट्टी की मात्रा 295 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 10 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला–रायपुर द्वारा उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | वास्तविक उत्खनन (टन) | वर्ष | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 3139.017 | 2013–2014 | 20.0 |
| 2009–2010 | 710.08 | 2014–2015 | 30.0 |
| 2010–2011 | 7036.78 | 2015–2016 | 10.0 |
| 2011–2012 | 5645 | 2016–2017 | 4000.0 |
| 2012–2013 | 4724.78 | 2017–2018 | निल |

**अनुमोदित स्कीम ऑफ माईनिंग के अनुसार विगत पांच वर्षो के लिए उत्खनन की योजना**

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वास्तविक उत्खनन (टन) |
|---|---|---|
| 2012–2013 | – | 4728.78 |
| 2013–2014 | – | 20.0 |
| 2014–2015 | – | 30.0 |
| 2015–2016 | 29,000 | 10.0 |
| 2016–2017 | 29,000 | 4000.0 |
| **कुल** | – | **8788.78** |

**आगामी पांच वर्षो के लिए उत्खनन की योजना**

| वर्ष | उत्खनन (टन) ROM | उत्खनन (टन) |
|---|---|---|
| 2017–2018 | 25,000 | 23,750 |
| 2018–2019 | 25,000 | 23,750 |
| 2019–2020 | 26,250 | 24,937 |
| 2020–2021 | 26,250 | 24,937 |
| 2021–2022 | 27,500 | 26,125 |

9. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। पेय जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी एवं अन्य उपयोग हेतु माईन वॉटर का उपयोग किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत एवं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

10. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.88 हेक्टेयर) क्षेत्र में 2,200 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:**–

- **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च से मई, 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 7

स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 1 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 30.68 से 21.26 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 65.62 से 52.34 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 13.54 से 7.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 16.96 से 8.12 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.9 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.5 डीबीए पाया गया।

13. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न फार्मुला के आधार पर गणना कर क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है:–

| |
|---|
| EC=PIxNxRxSxLF<br>Where,<br>EC - Environmental compensation in Rs.<br>PI - Pollution Index of Industrial Sector<br>N - Number of days of voilation took place<br>R - a Factor in Rs. For EC<br>S - Factor for scale of operation<br>LF - Location Factor |

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

= (250 x 4000) / 27,500 = 37

Environment Compensation = 80x37x170x0.5x0.5 = Rs. 1,25,800/-

= say Rs. 1,50,000/-

II. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/05/2020 को संपन्न 322वीं बैठक में Environmental Compensation के आंकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 1,50,000 की गणना को मान्य किया गया।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
3. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,50,000/– रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/

संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

4. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1,50,000/- रूपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2020 द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

**(स) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 90 | 2% | 1.80 | Following activities at Government Primary & Middle School **Village - Mohrenga** | |
| | | | Rain water harvesting | 1.50 |
| | | | Potable drinking water facility | 0.40 |
| | | | Running water facility for toilets | 0.30 |
| | | | Plantation with fencing | 0.20 |
| | | | **Total** | **2.40** |

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः उल्लंघन नहीं किए जाने के संबंध में हलफनामा (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 1,50,000/- रूपये का उपयोग शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ग्राम-मोहरेंगा में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा करने की सूचना दी गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2197/ख.लि./तीन–6/2019 रायपुर, दिनांक 11/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 689.648 हेक्टेयर (मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट को सैद्धांतिक निर्णय लिया गया) है। आवेदित खदान (ग्राम–मोहरेंगा एवं खौलीडबरी) का रकबा 4.527 हेक्टेयर है। प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. Environment Compensation Plan के तहत् निर्धारित कार्य को 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – श्री योगेन्द्र वर्मा (मेसर्स मोहरेंगा लाईन स्टोन माईन) की ग्राम–मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित ग्राम–मोहरेंगा खसरा क्रमांक 786/1 एवं 489 एवं ग्राम–खौलीडबरी, खसरा क्रमांक 738, 739, कुल क्षेत्रफल – 4.527 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–27,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी की जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को संपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि ग्राम–मोहरेंगा में इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी, मोहरेंगा वन क्षेत्र, खरोरा–तिल्दा मार्ग पर स्थित है। लीज क्षेत्र की इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी से वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी वन विभाग से प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुनःपरीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**(द) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. वनमण्डलाधिकारी, जिला–रायपुर द्वारा दूरभाष के द्वारा दी गई जानकारी अनुसार इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी का वैधानिक दर्जा (legal status), आरक्षित वन का है। समिति द्वारा गूगल अर्थ के माध्यम से लीज क्षेत्र के निकटतम बिन्दु (अक्षांश एवं देशांश) से इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी की दूरी का परीक्षण करने पर उक्त के बीच की निकटतम दूरी लगभग 326 मीटर है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 15/12/2020 के माध्यम से निर्धारित राशि 1,50,000/– की बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी गई।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – श्री योगेन्द्र वर्मा (मेसर्स मोहरेंगा लाईन स्टोन माईन) की ग्राम–मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित ग्राम–मोहरेंगा खसरा क्रमांक

786/1 एवं 489 एवं ग्राम–खौलीडबरी, खसरा क्रमांक 738, 739, कुल क्षेत्रफल – 4.527 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–27,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में निर्धारित शर्तें यथावत् रहेगी।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/02/2021 को संपन्न 105वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया एवं पाया गया कि समिति के परीक्षण के अनुसार लीज क्षेत्र के निकटतम बिन्दु (अक्षांश एवं देशांश) से इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी की दूरी लगभग 326 मीटर है। प्राधिकरण को आशंका है कि लीज क्षेत्र की सीमा से इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी नजदीक होने के कारण ब्लास्टिंग एवं उत्खनन गतिविधियों से पर्यटक एवं सफारी के जीव–जन्तुओं पर प्रभाव पड़ सकता है। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को वनमण्डलाधिकारी, जिला–रायपुर से अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/02/2021 के परिपेक्ष्य में वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर द्वारा ज्ञापन दिनांक 05/03/2021 के माध्यम से जानकारी/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया एवं पाया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा./912 रायपुर, दिनांक 05/03/2021 द्वारा चूना पत्थर उत्खननपट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र अनुसार लीज क्षेत्र से इंदिरा प्रियदर्शिनी नेचर सफारी की आकाशीय दूरी 280 मीटर है।

विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की पूर्व में की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – श्री योगेन्द्र वर्मा (मेसर्स मोहरेंगा लाईन स्टोन माईन) की ग्राम–मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित ग्राम–मोहरेंगा खसरा क्रमांक 786/1 एवं 489 एवं ग्राम–खौलीडबरी, खसरा क्रमांक 738, 739, कुल क्षेत्रफल – 4.527 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता–27,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक–4 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**

**1. मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड, महासमुंद द्वारा संचालित खान की गोमर्डा अभयारण्य एवं महासमुंद से वन क्षेत्र दूरी के जाँच हेतु गठित संयुक्त जाँच समिति का प्रतिवेदन के संबंध में।**

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा ज्ञापन दिनांक 09/02/2021 के माध्यम से मेसर्स सुशीला माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड, महासमुंद द्वारा संचालित खान की गोमर्डा अभयारण्य एवं महासमुंद से वन क्षेत्र दूरी के जाँच हेतु गठित संयुक्त

जाँच समिति का प्रतिवेदन, आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए प्रेषित किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/09/2016 द्वारा खसरा क्रमांक 964, ग्राम–बिरकोल, तहसील–सराईपाली, जिला–महासमुंद, कुल क्षेत्रफल – 12 हेक्टेयर में क्वार्टजाईट माईन (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता – 25,000 घनमीटर (60,006 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान की उत्खनन क्षमता विस्तार (60,006 टन से 5,56,500 टन) के लिए दिनांक 10/05/2019 को आवेदन किया गया था। जिस पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/08/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार –** उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/03/2021 को संपन्न 107वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

**(सुब्रत साहू)**
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

19/3/21
**(भोगी लाल सरन)**
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

**(डॉ. समीर बाजपेयी)**
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़